بسم الله الرحمن الرحيم

لا اله الا الله محمد رسول الله

अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं मुहम्मद[स०] अल्लाह के रसूल हैं।

Vol - 24
Issue - 05

राह-ए-ईमान

मई
2022 ई०

ज्ञान और कर्म का इस्लामी दर्पण

सम्पादक
फ़रहत अहमद आचार्य

उप सम्पादक
सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद M.A.
इब्नुल मेहदी लईक M.A.

संपादक - मंडल
फज़ल नासिर

सेटिंग
फ़रहत अहमद आचार्य

टाइटल डिज़ाइन
इब्नुल मेहदी लईक M.A.

मैनेजर
अतहर अहमद शमीम M.A.

कार्यालय प्रभार
सय्यद हारिस अहमद

विषय सूचि

1. पवित्र क़ुरआन........ 2
2. पवित्र हदीस 2
3. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अमृतवाणी........ 3
4. रूहानी ख़ज़ायन (तजल्लियात-ए-इलाहिया अर्थात ख़ुदा की चमकारें)........4
5. सम्पादकीय 6
6. सारांश ख़ुत्बः जुम्अः (दिनांक 1-4-2022)........8
7. ख़िलाफ़त हक़्क़ा इस्लामिया........12
8. शांति का अवतार........27
9. सामान्य ज्ञान........28
10. पत्रिका के बारे में कृपया अपना फीडबैक (प्रतिक्रिया) अवश्य दें........32

☆ ☆ ☆

पत्र व्यवहार के लिए पता :-
सम्पादक राह-ए-ईमान, मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत,
क़ादियान - 143516 ज़िला गुरदासपुर, पंजाब।
Editor Rah-e-Iman, Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat,
Qadian - 143516, Distt. Gurdaspur (Pb.)
Fax No. 01872 - 220139, **Email : rahe.imaan@gmail.com**
Editor- 9115040806, Manager- 9815639670

लेखकों के विचार से अहमदिया मुस्लिम जमाअत का सहमत होना ज़रूरी नहीं

वार्षिक मूल्यः 130 रुपए

Printed & Published by Shoaib Ahmad M.A. and owned by Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat Qadian and Printed at Fazle Umar Printing Press, Harchowal Road, Qadian Distt. Gurdaspur 143516, Punjab, INDIA and Published at Office Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat, P.O. Qadian, Distt. Gurdaspour 143516 Punjab iNDIA. Editor Farhat Ahmad

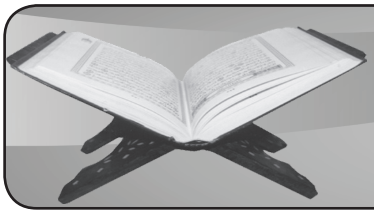

पवित्र क़ुरआन

(अल्लाह तआला के कथन)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ كَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِيۡنَهُمُ الَّذِى ارۡتَضٰى لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ اَمۡنًا ؕ يَعۡبُدُوۡنَنِىۡ لَا يُشۡرِكُوۡنَ بِىۡ شَيۡـــًٔا ؕ وَمَنۡ كَفَرَ بَعۡدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤـئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ - (سوره النور-٥٦)

अनुवाद: तुम में से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उन से अल्लाह ने पक्का वादा किया है कि उन्हें ज़रूर ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाएगा जैसा कि उसने उन से पहले लोगों को ख़लीफ़ा बनाया और उन के लिए उन के दीन को, जो उसने उन के लिए पसंद किया, ज़रूर मज़बूती अता करेगा और उन की ख़ौफ़ की हालत के बाद ज़रूर उन्हें अमन की हालत में बदल देगा। वे मेरी इबादत करेंगे। मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएँगे। और जो उस के बाद भी नाशुक्री करे तो यही वे लोग हैं जो नाफ़रमान हैं (सूर: अन्नूर -56)

पवित्र हदीस

(हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन)

अनुवाद- हज़रत अब्दुर्रहमान इब्नि सहल[रज़ि॰] बयान करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:-

"हर नबूवत् के बाद ख़िलाफ़त होती है"

(कन्ज़ुल उम्माल किताबुल फ़ितन, फ़सल फ़ी मुतफ़र्रिक़ात अल-फ़ितन जिल्द-11 पृ.115 हदीस नं. 31444)

अनुवाद- हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:-

"तुम में नबूवत् क़ायम रहेगी फिर नबूवत के पथ पर ख़िलाफ़त क़ायम होगी। फिर कष्टदायक बादशाहत क़ायम होगी। फिर इसके बाद अनीति और जब्र से काम लेने वाली बादशाहत क़ायम होगी। इसके बाद नबुव्वत के पद पर ख़िलाफ़त क़ायम हो गई इसके बाद आप ख़ामोश हो गए।" (मस्नद अहमद, हदीस- 17680)

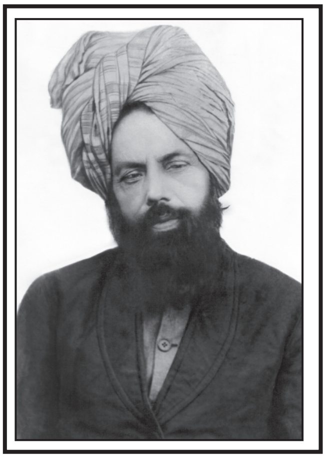

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अमृतवाणी

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

वही व्यक्ति लाभ उठाएगा जो सच्चा संयम (तक़्वा) धारण करेगा

उस समय एजाज़े अहमदी के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में विभिन्न दोस्त चर्चा करते रहे। फिर सैयद अब्दुल्लाह साहिब अरब ने हुज़ूर से निवेदन किया कि मेरे शरीर के दोनों ओर दर्द होता रहता है प्लेग का भय है अगर हुज़ूर अपना कुर्ता प्रदान करें तो मैं उसे पहने रहूं। हुज़ूर ने फरमाया कि हम कुर्ता तो दे देंगे मगर बात यह है कि जब तक अल्लाह तआला की रहमत और फज़ल का कुर्ता न हो तो फिर कोई चीज काम नहीं आती। देखो मैं जानता हूं कि यद्यपि बार-बार अल्लाह तआला ने वादा किया है कि वह मेरी और मेरी जमाअत की इस अपमानजनक मृत्यु से सुरक्षा करेगा परंतु रस्मी मुसलमान या रस्मी बैअत का कोई ज़िम्मेदार नहीं है, जब तक हमारे साथ वाले को वास्तविक संयम (तक़्वा) नसीब न हो।

एक मुसलमान ने एक बार यहूदी को कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ उस यहूदी ने कहा कि तू यद्यपि मुसलमान है परंतु तू कोई अच्छा आदमी नहीं है। इसलिए तुम केवल शक्ल सूरत पर गर्व न करो बल्कि वास्तविकता काम आती है। सुनो हमारे यहां एक बार एक लड़का पैदा हुआ और उसका नाम खालिद रखा गया जिस के अर्थ हैं हमेशा रहने वाला और फिर उसी दिन उसको दफन कर आए वह मर गया और खालिद का शब्द उस लड़के के कोई काम नहीं आया। इसी प्रकार हमेशा इंसान के काम में हक़ीक़त और रूहानियत ही काम देगी। मेरा दिल कदापि स्वीकार नहीं करता कि हमारी जमाअत में जो सच्चा संयम और पवित्रता धारण करता है और ख़ुदा से उसे सच्चा संबंध है फिर ख़ुदा उसे अपमान की मौत मारे। यद्यपि प्लेग विभिन्न युगों में आती रही है मगर हर युग का आदेश अलग-अलग है। कुछ युगों में ऐसा कोई आदमी न था जो इस समय तुम्हारे बीच बोल रहा है। अत: इस समय अल्लाह तआला फर्क करना चाहता है और वही व्यक्ति लाभ उठाएगा जो ख़ुदा की इच्छा को समझ कर सच्चा संयम धारण करेगा और ख़ुदा से कोई दूरी न रखेगा। ख़ुदा ने हमें खूब समझा दिया है कि जो दिल प्रयत्न करने वाला और अपने भीतर परिवर्तन करने वाला है उनसे यह अजाब ख़ुदा ने दूर कर दिया है इसलिए एक संयमी कब उस में लिप्त हो सकता है। अगर हमारी जमात में से कोई मौत प्लेग से हो जाए तो हमें मानना पड़ेगा कि उसमें किसी प्रकार की लापरवाही थी। मेरी कल्पना में भी कभी यह बात नहीं आई कि ख़ुदा पर कुधारणा की जाए और वह वादे के खिलाफ करने वाला हो। (मल्फ़ूज़ात जिल्द 3 पृष्ठ 383-384)

☆ ☆ ☆

रूहानी ख़ज़ायन

तजल्लियात-ए-इलाहिया (ख़ुदाई चमकारें)

(हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम द्वारा लिखित)

अत: हे सुनने वालो! इन बातों को स्मरण रखो और इन भविष्यवाणियों को अपने सन्दूकों में सुरक्षित रख लो कि यह ख़ुदा का काम है जो एक दिन पूरा होगा मैं अपने नफ़्स में कोई नेकी नहीं देखता और मैंने वह कलाम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। और मैं अपने आप को केवल एक अयोग्य मज़्दूर समझता हूं। यह केवल ख़ुदा की कृपा है जो मेरे साथ हुई। अत: उस सामर्थ्यवान और कृपालु ख़ुदा का हज़ार-हज़ार धन्यवाद है कि इस मुट्ठी भर धूल को उन समस्त गुणहीनताओं के बावजूद उसने स्वीकार किया-

عجب دارم از لطفت اے کردگار + پزیر رفتہ چوں من خاکسار
پسندید گانے بجائے رسند + زماک تہرانت چہ آمد پسند
چو از قطرۂ خلق پیدا کنی
ہمیں عادت اینجا ہویدا کنی

यह बात लिखने से रह गई कि उपरोक्त कथित इल्हाम में जो ये शब्द हैं انّ وَعْدَ اللہ لَا یُبدّل अर्थात् ख़ुदा का वादा टल नहीं सकता। यह इस बात की ओर संकेत है कि पांच भूकम्पों का आना ख़ुदा तआला का एक वादा है जो अवश्य होकर रहेगा। हां जो व्यक्ति तौब:, क्षमा-याचना करेगा और अभी से ख़ुदा तआला से सुलह करेगा और उसमें उद्दण्डता की कोई आग शेष नहीं रहेगी ख़ुदा उस पर दया करेगा, परन्तु उस पर दया करने से यह परिणाम नहीं निकलता कि ये पांच भूकम्प नहीं आएंगे। वे तो अवश्य आएंगे परन्तु ऐसा व्यक्ति उन के आघात से बच जाएगा। यह ख़ुदा तआला का वादा है वह अपने वादे को भंग नहीं करता। उस की वईद टल सकता है परन्तु वादा नहीं टल सकता। जैसा कि हम अभी पहले वर्णन कर चुके हैं।

यहां एक और बात उल्लेखनीय है कि यहां स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न पैदा होता है कि जब इस से पहले सैकड़ों निशान मेरे सत्यापन के लिए खुले-खुले प्रकट हो चुके थे और हज़ारों तक नौबत पहुंच गई थी तो फिर इस घातक ताऊन और इन तबाही फैलाने वाले भूकम्पों की क्या आवश्यकता थी। क्या वे सैकड़ों निशान पर्याप्त न थे?

इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से है -

प्रथम - यह कि मानव-प्रकृति में यह सम्मिलित है कि वह दया के निशानों से बहुत की कम लाभ उठाता है और ऐसा ही पक्षपात् के कारण दूसरी प्रकार के छोटे-छोटे निशानों से टालने के लिए कोई न कोई बहाना निकालता है ताकि किसी प्रकार स्वीकार की दौलत से वंचित रहे। तो यहां भी ऐसा ही हुआ

कि हज़ारों निशानों के प्रकट होने के बावजूद क़ौम के दिलों पर एक कण प्रभाव न पड़ा। यदि आप मेरी पुस्तक 'नुज़ूलुलमसीह' को देखें तो आप को ज्ञात होगा कि ख़ुदा ने निशानों के दिखाने में कोई अन्तर नहीं किया। दोस्तों के लिए भी निशान प्रकट हुए और दुश्मनों की चेतावनी के लिए भी और मेरे अपने बारे में भी और ऐसा ही मेरी सन्तान के बारे में भी निशान प्रकटन में आए और जिस प्रकार पृथ्वी का एक बड़ा भाग समुद्र से भरा हुआ है ऐसा ही यह सिलसिला ख़ुदा के निशानों से भर गया। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें कोई न कोई निशान प्रकट न हो और प्रत्येक भविष्यवाणी किसी न किसी निशान पर आधारित होती है। मैंने इस पुस्तक में दस हज़ार निशानों का केवल नमूने के तौर पर वर्णन किया है अन्यथा यदि वे सब लिखे जाएं तो वह पुस्तक जिस में वे लिखे जाएं हज़ार भाग से भी अधिक हो जाएगी। क्या ग़ैब का इतना निरन्तर प्रकट होना किसी झूठ गढ़ने वाले के कारोबार में संभव है? मेरे मूर्ख विरोधियों को ख़ुदा प्रतिदिन नाना प्रकार के निशान दिखाने से अपमानित करता जाता है और मैं उसी की क़सम खा कर कहता हूं कि जैसा कि उसने इब्राहीम[अ.] से वार्तालाप और संवाद किया और फिर इस्हाक़[अ.] से, इस्माईल[अ.] से, याक़ूब[अ.] से, मूसा[अ.] से और मसीह इब्ने मरयम से और सब के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा परस्पर वार्तालाप किया कि आप[स.] पर सबसे अधिक रोशन और पवित्र वह्यी उतारी। ऐसा ही उस ने मुझे भी अपने वार्तालाप और सम्बोधन का सम्मान प्रदान किया। परन्तु यह सम्मान मुझे आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुकरण से प्राप्त हुआ यदि मैं आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत न होता और आप का अनुकरण न करता तो दुनिया के समस्त पहाड़ों के बराबर मेरे आमाल (कर्म) होते तो फिर भी मैं यह वार्तालाप और सम्बोधन का सम्मान कदापि न पाता। क्योंकि अब मुहम्मदी नुबुव्वत के अतिरिक्त सब नुबुव्वतें बन्द हैं। शरीअतवाला नबी कोई नहीं आ सकता बिना शरीअत वाला नबी हो सकता है परन्तु वही जो पहले उम्मती हो। तो इसी आधार पर मैं उम्मती भी हूं और नबी भी। और मेरी नुबुव्वत अर्थात् ख़ुदाई वार्तालाप संबोधन आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुबुव्वत का एक ज़िल्ल (प्रतिबिम्ब) है और इसके अतरिक्त मेरी नुबुव्वत कुछ भी नहीं। वही नुबुव्वत-ए-मुहम्मदिया है जो मुझ में प्रकट हुई है। और चूंकि मैं केवल ज़िल्ल हूं और उम्मती हूं इसलिए आप[स.] का इस से कुछ अपमान नहीं। और यह ख़ुदा का संवाद और वार्तालाप जो मुझ से होता है, विश्वसनीय है। यदि मैं एक पल के लिए भी इसमें सन्देह करूं तो काफ़िर हो जाऊं और मेरी आख़िरत तबाह हो जाए। वह कलाम जो मुझ पर उतरा निश्चित और अटल है, और जैसा कि सूर्य और उसके प्रकाश को देखकर कोई सन्देह नहीं कर सकता कि यह सूर्य और यह उसका प्रकाश है ऐसा ही मैं उस कलाम में भी सन्देह नहीं कर सकता जो ख़ुदा तआला की ओर से मुझ पर उतरता है और मैं उस पर ऐसा ही ईमान लाता हूं जैसा कि ख़ुदा की किताब पर। यह तो संभव है कि ख़ुदा के कलाम के अर्थ करने में कुछ अवसरों में एक समय तक मुझ से कोई ग़लती हो जाए परन्तु यह संभव नहीं कि मैं सन्देह करूं कि वह ख़ुदा का कलाम नहीं। **...शेष**

(तजल्लियात-ए-इलाहिया (ख़ुदाई चमकारें) पृष्ठ 20-23)

सम्पादकीय

ख़िलाफ़त अहमदिया

अहमदिया मुस्लिम जमाअत को यह विशेषता प्राप्त है कि इस जमाअत में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पश्चात 114 वर्षों से ख़िलाफत का मुबारक निज़ाम जारी है। अहमदिया मुस्लिम जमाअत पर अल्लाह तआला की यह बड़ी कृपा है। आज दुनिया इस नेअमत से वंचित है और इस को स्थापित करने के लिए अपने सर तोड़ रही है लेकिन दुनियावी कोशिशों से यह निज़ाम कदापि शुरू नहीं किया जा सकता जब तक कि ख़ुदा तआला इसे स्वयं शुरू न करें। अल्लाह तआला ने मनुष्य के जन्म का उद्देश्य पूरा करने के लिए नबियों का सिलसिला आरंभ किया। इसीलिए हर युग में समय-समय पर अल्लाह तआला के अवतार प्रकट होते रहे। यह अल्लाह तआला के ख़ुलफ़ा कहलाए। यह इंसान को सही मार्ग पर लाने का पूर्ण प्रयास करते रहे। अल्लाह तआला के यह अवतार एक लंबे प्रयास के पश्चात सच्चे लोगों की जमाअत स्थापित करके समस्त अवतारों की तरह इस संसार से मृत्यु प्राप्त करके अपने सृष्टा ख़ुदा के पास चले जाते हैं। नबियों की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा स्थापित की गई जमाअतें मानो जीते जी मर जाती हैं ऐसी अवस्था में जब उन के दुश्मन खुशी के ढोल बजाते हैं तो ख़ुदा तआला अपनी जमाअतों को अकेला नहीं छोड़ता बल्कि उनका ध्यान रखते हुए उनके लिए उन नबियों का क़ायम-मकाम और नायब खड़ा कर देता है और फिर धीरे-धीरे यह जमाअतें अपने मिशन को पूरा करने के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने लगती हैं इसीलिए अल्लाह तआला की यही सुन्नत अपने प्रिय नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के समय पर भी पूरी हुई थी और यह ख़िलाफत 30 वर्षों तक जारी रही और हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी के अनुसार यह सिलसिला अंतिम युग के लिए टूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी और वादा के अनुसार यह सिलसिला अंतिम युग में "अला मिनहाजे नबूवत" के वादा के अनुसार पुनः स्थापित होना था। इसी बात का वर्णन अल्लाह तआला ने पवित्र कुरआन की सूरह जुमा की आयत 3,4 में किया है। अल्लाह फ़रमाता है-

هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَةَ ٭ وَ اِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ۔

وَّ اٰخَرِیۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا یَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ ؕ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ۔

अर्थात : ख़ुदा ने अरबों में उन्हीं में से अपना एक रसूल भेजा है जो उन्हें ख़ुदा की आयात पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक और साफ करता है और किताब और हिकमत की बातें सिखाता है यद्यपि इससे पूर्व वे खुली खुली गुमराही में पड़े हुए थे और एक दूसरी जमाअत भी उन्हीं के साथ की है जिसकी हमारा यह रसूल (अपने एक प्रतिरूप के द्वारा) तरबियत फ़रमागा यद्यपि यह जमाअत अभी तक संसार में ज़ाहिर हो कर सहाबा की जमाअत से मिली नहीं परंतु भविष्य में अवश्य ज़ाहिर हो जाएगी।

हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सहाबा के सामने जब यह आयत पढ़कर

सुनाई तो सहाबा ने पूछा कि हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम वे कौन लोग होंगे जिनमें आपका पुन: (प्रतिरूप के तौर पर) जन्म होगा? तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ि अल्लाह जो उस समय मौजूद थे के कंधे पर हाथ रखकर फ़रमाया कि- لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ (बुखारी किताब अल्तफ्सीर, बाब तफसीर सूरह जुमा)

अर्थात यदि किसी युग में ईमान संसार से गायब होकर सुरैया सितारे पर भी चला गया तो फिर भी इन फारस के लोगों में से एक व्यक्ति या कुछ लोग उसे पुन: ज़मीन पर उतार लाएंगे।

और एक दूसरे अवसर पर आप ससल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया سلمان منا اهل البيت (तिबरानी कबीर और मुस्तदरक हाकिम जामे अल-सगीर) अर्थात : सलमान फारिस हम में से अर्थात हमारे अहले बेअत में से है।

प्रतिरूप की भविष्यवाणी फ़रमा कर इसका और अधिक विस्तार से कुछ और हदीसों में वर्णन मिलता है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते है कि आप ससल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :
قال رسول الله (ص) : كيف أنتم إذا نزل إبن مريم فيكم وإمامكم منكم (सही बुखारी)

अर्थात : तुम्हारा उस दिन क्या हाल होगा जिस दिन इब्ने मरियम तुम में नाज़िल होगा और तुम जानते हो कि इब्ने मरियम कौन है वह तुम्हारा ही एक इमाम होगा और तुम में से ही होगा।

एक और हदीस में इस वास्तविकता को भी स्पष्ट फ़रमाया कि यही आने वाला मसीह इमाम महदी भी होगा अर्थात मसीह और महदी एक ही अस्तित्व के दो नाम होंगे इसलिए फ़रमाया :
وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (इब्ने माजा, कन्ज़ुल अम्माल भाग 7 पृष्ठ 156)

हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने आने वाले उस इमाम के जन्म का समय भी बताया कि : إِذَا مَضَتْ أَلْفٌ وَّمِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً يَبْعَثُ اللهُ الْمَهْدِيَّ (अल-नज्मुस्साकिब, भाग 2 पृष्ठ 209) अर्थात : जब 1240 वर्ष गुज़र जाएंगे तो अल्लाह तआला महदी को पैदा फ़रमाएगा।

इसी प्रकार सही मुस्लिम की एक हदीस में आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह को एक ही वाक्य में बार-बार नबी कह कर पुकारा है। (देखें मुस्लिम बाब ज़िक्र उल-दज्जाल) इस हदीस में आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक ही वाक्य के अंदर मसीह मौऊद के संबंध में चार बार "नबी उल्लाह" के शब्द का प्रयोग किया है। ऊपर लिखी गई समस्त भविष्यवाणियों से यह साबित होता है कि अंतिम युग में 13वीं सदी के अंत में मसीह मौऊद-व-महदी मा'हूद का जन्म होगा जो आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का प्रतिरूप होगा और ख़ुदा उसको नबूवत का पद प्रदान करेगा। इन भविष्यवाणियों के अनुसार ही हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी ने ठीक 13वी सदी के अंत में मसीह मौऊद-व-महदी मा'हूद होने का दावा फ़रमाया अल्लाह तआला ने आपको इल्हाम में फ़रमाया

शेष पृष्ठ 32 पर

सारांश ख़ुत्बः जुम्अः

सय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक- 1.04.2022 मस्जिद मुबारक, इस्लामाबाद, टिलफोर्ड बर्तानिया

क़ुर्आन के निर्देश, ऐतिहासिक संदर्भ तथा अहमदियत के ख़लीफ़ाओं के निर्देशों की रौशनी में न केवल यह साबित है, अपितु पूर्णतः नकारात्मक कथन है कि मुर्तद (इस्लमाम से विमुख होने वाले) का दंड हत्या नहीं।

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूर: फ़ातिह: की तिलावत के बाद हुज़ूर-ए-अनवर ख़लीफ़तुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया-

हज़रत अबू बकर रज़ीयल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने के उपद्रवों के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी रचना सिर्रुलख़िलाफ़: नामक पुस्तक में बयान फ़रमाते हैं कि इब्ने ख़ुलदून तथा इब्ने कसीर ने लिखा है कि बनू तै, बनू असद तुलैहा, बनू गतफ़ान, बनू हवाज़न, बनू सलीम नामक क़बीलों सहित पूरे अरब देश की साधारण जनता एवं विशिष्ट लोग इस्लाम से विमुख हो गए तथा उन्होंने अपनी ज़कात देनी बन्द कर दी। मुसलमानों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निधन तथा अपना अल्पसंख्या में होना तथा दुश्मनों का बहुसंख्या में होने के कारण ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे बरसात वाली रात में भेड़ बकरियों की होती है, अर्थात भय के कारण एक जगह एकत्र हो जाती हैं। लोगों ने हज़रत अबू बकर रज़ी. से कहा कि इस समय उसामा रज़ी. की सेना को अपने से अलग न करें परन्तु हज़रत अबू बकर रज़ी. ने फ़रमाया कि जो निर्णय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, मैं उसे निरस्त नहीं कर सकता। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निधन के पश्चात यदि अल्लाह हम पर अबू बकर रज़ी. के द्वारा उपकार न करता तो निकट था कि हम नष्ट हो जाते। आप रज़ी. ने हमें इस बात पर एकमत किया कि हम ज़कात की वसूली के लिए युद्ध करें तथा अल्लाह की इबादत करते चले जाएँ यहाँ तक कि मौत हमें आ ले।

सारे अरब की इस्लाम से विमुखता तथा ज़कात देने से इंकार के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी. ने उन सबके विरुद्ध लड़ाई की। इतिहास एवं सीरत की पुस्तकों में ऐसे समस्त लोगों के लिए मुर्तदीन (इस्लाम से

फिर जाने वाले लोग) का शब्द उपयुक्त हुआ है जिसके कारण सीरत लिखने वाले तथा विद्वानों को $गलती लगी कि मानो मुर्तद की सज़ा हत्या है। जबकि न तो क़ुर्आन करीम ने और न ही आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्तद का दंड हत्या बयान किया अथवा कोई अन्य दंड निश्चित किया। इसके विषय में कुछ आयतें पेश हैं-

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ,(सूर: अल-बक़र: 298)

अनुवाद- और तुममें से जो भी अपने दीन से फिर जाए फिर इस स्थिति में मरे कि वह काफ़िर हो तो यही वे लोग हैं जिनके कर्म दुनिया में भी नष्ट हो गए तथा आख़िरत में भी और यही वे लोग हैं जो आग वाले हैं, उसमें लम्बी अवधि रहने वाले हैं। इससे भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि मुर्तद की सज़ा हत्या नहीं थी क्यूँकि यदि इसकी सज़ा हत्या होती तो यह बयान न होता कि ऐसा मुर्तद अंतत: काफ़िर होकर मर जाए।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

सूर: अन-निसा 138,

अनुवाद- निश्चित ही वे लोग जो ईमान लाए फिर इंकार कर दिया, फिर ईमान लाए फिर इंकार कर दिया, फिर इंकार में ही बढ़ते चले गए, अल्लाह ऐसा नहीं कि उन्हें क्षमा कर दे और उन्हें सच्चे रास्ते की हिदायत दे।

अत: बड़ी स्पष्ट नकारात्मक बात है इसमें कि मुर्तद की सज़ा हत्या नहीं तथा यही हमारे लिट्रेचर में व्याख्या भी की जाती है।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबे रह. अपने तर्जुमतुल क़ुर्आन में बयान फ़रमाते हैं कि यदि कोई मुर्तद हो जाए, फिर ईमान लाए फिर मुर्तद हो जाए फिर ईमान लाए तो उसका फ़ैसला अल्लाह के पास है और यदि इंकार की अवस्था में मरेगा तो अनिवार्य रूप से नर्क में होगा। यदि मुर्तद की सज़ा हत्या होती तो उसके बार बार ईमान लाने तथा बार बार इंकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया कि दीन ने तो किसी भी प्रकार के दबाव का इंकार करते हुए फ़रमाया-

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ सूर: अल-बक़रा 257

अनुवाद- दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। निश्चित रूप से हिदायत पथभ्रष्टता से खुल कर स्पष्ट हो चुकी है, अत: जो कोई शैतान का इंकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो नि:सन्देह उसने एक ऐसे सुदृढ़ कड़े को पकड़ लिया जिसका टूटना सम्भव नहीं और अल्लाह बहुत सुनने वाला तथा स्थाई ज्ञान रखने वाला है।

फिर क़ुर्आन करीम में जगह जगह मुनाफ़िक़ों (पाखंडियों) का वर्णन भी मौजूद है तथा किसी भी मुनाफ़िक़ के लिए किसी प्रकार के दंड के प्रावधान का वर्णन नहीं किया गया जबकि इस्लाम का इतिहास साक्षी है कि न ही किसी मुनाफ़िक़ को उसके पाखंड के कारण कोई दंड दिया गया। अत: मुनाफ़िक़ों का वर्णन करते हुए क़ुर्आन करीम कहता है कि-

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (सूर: अल-तौबा, 53 - 54)

अनुवाद- तू कह दे कि चाहे तुम इच्छापूर्वक $खर्च करो चाहे अनिच्छापूर्वक, तुमसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। नि:सन्देह तुम एक दुराचारी क़ौम हो तथा उनके धन को स्वीकार किए जाने से उन्हें किसी चीज़ ने वंचित नहीं किया सिवाए इसके कि वे अल्लाह तथा उसके रसूल का इंकार कर बैठे थे और इसी प्रकार नमाज़ के निकट अत्यंत आलस्य के साथ आते थे तथा अत्यंत घृणा भाव अनुभव करते हुए खर्च करते थे।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया कि जिस पवित्र अस्तित्व पर क़ुर्आन करीम उतारा गया जो كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ की पुष्टि करने वाला अस्तित्व था, उस मुबारक हस्ती ने मुर्तद के बारे में क्या फ़रमाया।

सही बुख़ारी में लिखा है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि एक आराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तथा इस्लाम क़बूल करते हुए आपकी बैअत की, अगले दिन आराबी को बुख़ार हो गया वह आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मेरी बैअत मुझे वापस कर दें, फिर वह दो बार आया यहाँ तक कि तीन बार आप स. के पास आया किन्तु आप स. ने तीनों बार इंकार फ़रमाया। फिर वह आराबी मदीना से चला गया। उस व्यक्ति का आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार आना भी ज़ाहिर करता है कि मुर्तद के लिए हत्या का दंड निश्चित नहीं था, यदि ऐसा होता तो आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस व्यक्ति को जो बार बार आप स. के पास आया, क्यूँ न कह दिया कि इस्लाम से विमुख हो जाने की सज़ा हत्या है यदि तुम इस्लाम से फिरते हो तो तुम्हारा वध किया जाएगा। अत: उस आराबी का बार बार इस्लाम से फिर जाने को व्यक्त करना और आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार जाना और आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको इस्लाम से विमुख हो जाने के परिणाम में सावधान न करना तथा न ही सहाबियों को उसकी हत्या का आदेश देना तथा अंतत: बिना किसी रोक टोक के मदीने से निकल जाना, ये सारी बातें स्पष्ट रूप से इस बात के घोर साक्ष्य हैं कि इस्लाम में मुर्तद के लिए शरीअत ने कोई दंड निश्चित नहीं किया था। फिर आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके निकल जाने पर एक प्रकार की प्रसन्नता अभिव्यक्त करना और फ़रमाना कि मदीना एक भट्टी की तरह है जो मैल कुचैल को पवित्र सरोवर से अलग कर देती है, स्पष्ट करता है कि आप स. इस नियम के विरुद्ध थे कि किसी को दबाव में इस्लाम पर रखा जावे।

दूसरा प्रमाण इस बात का सुलह हुदैबिय: की दूसरी शर्त है जिसके अनुसार यदि मुसलमानों में से कोई व्यक्ति मुर्तद होकर मुशरिकों की ओर चला जाए तो मुशरिक उसको वापस नहीं करेंगे। इस शर्त से स्पष्ट होता है कि यदि इस्लाम से फिर जाने के लिए शरीअत में हत्या का दंड निश्चित होता तो शरई दंड के मामले में आप स. कभी भी मुशरिकों की बात को स्वीकार न करते। इनके अतिरिक्त भी कई ऐसी घटनाएँ हैं कि जिनसे स्पष्ट रूप में विदित हो जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में कुछ लोगों ने दीने इस्लाम से विमुखता दिखाई किन्तु केवल विमुख हो जाने के कारण उनके साथ कोई दुवर्यवहार नहीं किया गया जब तक कि उन्होंने लड़ाई अथवा विद्रोह जैसे बुरे काम न कर दिखाए।

इन क़ुर्आन की आयतों तथा आदेशों की रोशनी में यह तो साबित हो गया कि मुर्तद की सज़ा हत्या नहीं है, अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि मुर्तद की सज़ा हत्या नहीं तो हज़रत अबू बकर रज़ी. ने मुर्तदों की हत्या का आदेश क्यूँ दिया?

यथार्थ यह है कि आप रज़ी. के दौर में मुर्तद होने वाले केवल मुर्तद ही नहीं थे बल्कि वे भयानक इरादों वाले विद्रोही थे जिन्होंने केवल मदीना राज्य पर हमला करके मुसलमानों का वध करने के भयानक योजनाएँ नहीं बनाईं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर अति निर्दयता से हत्या की जिसके कारण सुरक्षा तथा बदला लेने की काररवाई के रूप में इन लडऩे वालों से युद्ध किया गया और وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (अश्शूरा: 41) और बदी का बदला, की जाने वाली बदी के बराबर होता है के अंतर्गत उनको भी वैसी ही सज़ाएँ देकर वध करने के आदेश पारित किए गए जैसे अत्याचार उन्होंने किए थे।

अल्लामा तबरी लिखते हैं कि जब हज़रत अबू बकर रज़ी. ने विभिन्न हमला करने वाले क़बीलों को हरा दिया तो बनू ज़ुबयान तथा अबस नामक क़बीलों ने मुसलमानों पर हमला किया तथा जो मुसलमान उनमें रहते थे उनको हर तरीक़े से मारा तथा उनके बाद अन्य जातियों ने भी ऐसे लोगों की हत्या कर दी जो इस्लाम पर जमे हुए थे।

अल्लामा ऐनी जिन्होंने सही बुख़ारी की व्याख्या लिखी है कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी. ने ज़कात देने से इंकार करने वालों के साथ केवल इस लिए युद्ध किया क्यूंकि उन्होंने तलवार के द्वारा ज़कात रोकी तथा मुस्लिम उम्मत के विरुद्ध लड़ाई की। इमाम खत्ताबी ने लिखा है कि उनको मुर्तद केवल इस लिए कहा गया कि ये लोग इस्लाम से फिर जाने वालों के दल में शामिल हो गए थे।

इतिहास के संदर्भों का सारांश यही है कि ऐसे मुर्तद शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, शासन की सम्पत्ति को लूटने, मुसलमानों का वध करने तथा उन्हें जीवित जलाने के कारण हत्या के दंड को भोगने के अधिकारी हो चुके थे, जैसा कि क़ुर्आन पाक फ़रमाता है कि

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (अल-मायदा: 34)

अनुवाद- नि:सन्देह उन लोगों का प्रतिफल जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं तथा धरती पर उपद्रव फैलाने का प्रयत्न करते हैं, यह है कि उनका कठोरता पूर्वक वध कर दिया जाए अथवा सूली पर चढ़ाया जाए अथवा उनके हाथ और पाँव विपरीत दिशाओं से काट दिए जाएँ अथवा उन्हें देश निकाला दे दिया जाए।

हुज़ूरे अनवर ने फ़रमाया कि शेष इन्शाअल्लाह आगे बयान किया जाएगा।

हुज़ूरे अनवर ने अंत में मुकर्रम बशीर शाद साहब, रिटायर्ड मुरब्बी सिलसिला वर्तमान निवास अमरीका, मुकर्रम राणा मुहम्मद सिद्दीक़ साहब सियालकोट और मुकर्रम डा. महमूद अहमद ख़्वाजा साहब इस्लामाबाद का सद्वर्णन तथा जमाअत की सेवओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन फ़रमाया और जुम्अ: की नमाज़ के बाद इन सबकी नमाज़े जनाज़ा गायब पढ़ाने का ऐलान भी फ़रमाया।

☆ ☆ ☆

ख़िलाफ़त-ए-हक़्क़ा इस्लामिया

(भाषण - हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह द्वितीय रज़ि अल्लाह अन्हो)

अनुवादक- इब्नुल मेहदी लईक़

क़ुरआन करीम में अल्लाह तआला फ़र्माता है :-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِی الۡاَرۡضِ کَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۪ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمۡ دِیۡنَهُمُ الَّذِی ارۡتَضٰی لَهُمۡ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ اَمۡنًا ؕ یَعۡبُدُوۡنَنِیۡ لَا یُشۡرِکُوۡنَ بِیۡ شَیۡئًا ؕ وَمَنۡ کَفَرَ بَعۡدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

इस आयत के बारे में सभी पिछले व्याख्याकार इस बात पर सहमत हैं कि यह आयत ख़िलाफ़त-ए-इस्लामिया के बारे में है। इसी तरह सहाबा किराम (आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहचर) और कई ख़ुलफ़ाए राशदीन ने भी इसके बारे गवाही दी है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी किताबों में इस आयत को प्रस्तुत किया है और बताया है कि यह आयत ख़िलाफ़त-ए-इस्लामिया के बारे में है। इस आयत में अल्लाह तआला फ़र्माता है कि हे ख़िलाफ़त-ए-हक़्क़ा पर ईमान रखने वाले मोमिनों ! चूँकि यहाँ ख़िलाफ़त का वर्णन है इसलिए 'आमनू' में ईमान लाने का अर्थ ख़िलाफ़त पर ईमान लाना ही हो सकता है इस प्रकार यह आयत मुबाईन (बैअत किए हुए लोगों) के बारे में है। ग़ैर मुबाईन (बैअत न करने वालों) के बारे में नहीं क्योंकि वे तो ख़िलाफ़त पर ईमान ही नहीं रखते) और हे ख़िलाफ़त-ए-हक़्क़ा इस्लामिया को स्थापित रखने और इसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करने वालों ! तुम से अल्लाह एक वादा करता है और वह यह है कि "हम तुम में से ज़मीन में उसी प्रकार उत्तराधिकारी बनाते रहेंगे जिस प्रकार तुम से पहले लोगों को उत्तराधिकारी बनाया और हम उन के लिए इसी दीन (धर्म) को जारी करेंगे जो हम उनके लिए पसन्द कर चुके हैं।" अर्थात् जो ईमान और अक़ीदा उनका है वही ख़ुदा को पसन्द है और अल्लाह तआला वचन दे चुका है कि वह इस अक़ीदा और नियम को दुनिया में जारी रखेगा और यदि उन पर कोई भय की स्थिति आएगी तो हम उसको दूर करके शान्ति की हालत में बदल देंगे हम आशा रखते हैं कि वे सदा तौहीद (अर्थात् अल्लाह तआला के अद्वैत एवं निराकार होने के सिद्धान्त) को दुनिया में स्थापित करेंगे और शिर्क (ईश्वर के साथ किसी और को उसका साझीदार बनाना) नहीं करेंगे अर्थात् अनेकेश्वरवाद पर विश्वास रखने वाले धर्मों का खण्डन करते रहेंगे और इस्लाम की सच्ची तौहीद (अर्थात् अल्लाह तआला के अद्वैत एक निराकार होने के सिद्धान्त) का प्रचार करते रहेंगे।

यदि ख़िलाफ़त के स्थापित होने के पश्चात् ख़िलाफ़त पर ईमान लाने वाले लोगों ने ख़िलाफ़त को नष्ट कर दिया तो अल्लाह फ़र्माता है मुझ पर इसका दोष नहीं होगा क्योंकि मैंने एक वादा किया है और शर्त के साथ वादा किया है इस ख़िलाफ़त के नष्ट होने पर दोष तुम पर होगा। मैं अगर भविष्यवाणी करता तो दोष मुझ पर होता कि मेरी भविष्यवाणी झूठी निकली। मैंने भविष्यवाणी नहीं की बल्कि तुम से वादा किया

है और इस शर्त पर वादा किया है कि अगर तुम ख़िलाफ़त को मानने वाले होगे और उसके अनुसार काम करोगे तो फिर मैं ख़िलाफ़त को तुम में स्थापित रखूंगा। इसी प्रकार यदि ख़िलाफ़त तुम्हारे हाथों से निकल गई तो याद रखो कि तुम ख़िलाफ़त पर ईमान लाने वाले नहीं रहोगे बल्कि ख़िलाफ़त का इन्कार करने वाले हो जाओगे और न केवल ख़लीफ़ों की आज्ञा पालन से बाहर निकल जाओगे बल्कि मेरी भी आज्ञा पालन से बाहर निकल जाओगे और मेरे अवज्ञाकारी और विद्रोही बन जाओगे।

"ख़िलाफ़त-ए-हक़्क़ा इस्लामिया" शीर्षक रखने का कारण

मैंने इस लेख का शीर्षक "ख़िलाफ़त-ए-हक़्क़ा इस्लामिया" इसलिए रखा है कि जिस प्रकार मूसवी ज़माना (मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना) में ख़िलाफ़त-ए-मूसविया यहूदिया दो भागों में विभाजित थी, एक युग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक था और दूसरा युग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक चला आ रहा है। इसी प्रकार इस्लाम में भी ख़िलाफ़त के दो युग हैं। एक युग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शुरू हुआ भौतिक तौर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मृत्यु के पश्चात् समाप्त हो गया और दूसरा युग हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मृत्यु के पश्चात् प्रथम उत्तराधिकारी हज़रत हाफ़िज़ हकीम नूरुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हु से शुरू हुआ और यदि आप लोगों में ईमान और पुण्यकर्म स्थापित रहे तथा ख़िलाफ़त से सम्बन्ध दृढ़तापूर्वक रहा तो इन्शाअल्लाह (अगर ख़ुदा ने चाहा) यह युग क़यामत तक रहेगा।

जैसा कि उपर्युक्त आयत की व्याख्या में मैं साबित कर चुका हूँ कि अल्लाह तआला फ़र्माता है कि अगर ख़िलाफ़त पर ईमान दृढ़तापूर्वक रहा और ख़िलाफ़त के स्थायित्व के लिए तुम्हारी कोशिशें जारी रहीं तो मेरा वचन है कि तुम में से (अर्थात् मोमिनों में से और तुम्हारी जमाअत में से) मैं ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) बनाता रहूँगा। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस संबंध में हदीसों में स्पष्ट रूप से फ़र्माया है कि :-

مَا كَانَتْ نَبُوَّةٌ قَطُّ اِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَة ۔ (جامع الصغیر للسیوطی)

कि हर नबुव्वत के बाद ख़िलाफ़त होती है और मेरे पश्चात् भी ख़िलाफ़त होगी इसके बाद ज़ालिम हुकूमत होगी फिर जाबिर (अत्याचारी) हुकूमत होगी अर्थात् दूसरी क़ौमें आकर मुसलमानों पर हुकूमत करेंगी जो ज़बरदस्ती मुसलमानों से हुकूमत छीन लेंगी। फिर फ़रमाया कि फिर नबुव्वत के मार्ग पर ख़िलाफ़त स्थापित होगी अर्थात् जैसे नबियों के पश्चात् ख़िलाफ़त होती है वैसे ही ख़िलाफ़त फिर जारी कर दी जाएगी। (मिश्कात बाब-उल-इनज़ार व अत्तहजीर)

नबियों के पश्चात् ख़िलाफ़त का वर्णन क़ुरआन करीम में दो स्थान पर आया है। एक तो यह वर्णन है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पश्चात् ख़ुदा तआला ने बनी-इस्राईल को ख़िलाफ़त इस प्रकार दी कि कुछ उन में से मूसा अलैहिस्सलाम के अधीन अवतार बनाए और कुछ उनमें से बादशाह बनाए। अब अवतार और बादशाह बनाना तो अल्लाह तआला के हाथ में है हमारे हाथ में नहीं। परन्तु जो तीसरा

विषय ख़िलाफ़त का है वह इस रूप से है कि ख़ुदा तआला भक्तों से काम लेता है हमारे इख़्तियार में है। अत: ईसाई इसके लिए चुनाव करते हैं और अपने में से एक पुरुष को बड़ा धार्मिक नेता चुन लेते हैं। जिसका नाम वे पोप रखते हैं। यद्यपि पोप और पोप के अनुयायी अब भ्रष्ट हो गए हैं। मगर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि फिर उनसे समानता क्यों दी?

अल्लाह तआला क़ुरआन करीम में स्पष्ट रूप से फ़र्माता है कि:-

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

जिस प्रकार पहले लोगों को मैंने ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) बनाया था उसी प्रकार मैं तुम्हें ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) बनाऊँगा। अर्थात् जिस प्रकार मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिला में ख़िलाफ़त स्थापित की गई थी उसी प्रकार (हे मुसलमानो!) तुम्हारे अन्दर भी उस गिरोह में जो मूसवी सिलसिला से मिलता जुलता होगा, ख़िलाफ़त स्थापित करूँगा। अर्थात् मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही शरीअत (धर्म विधान) चलेगी। फिर जब मसीह मौऊद का प्रादुर्भाव हो जायेगा तो जिस प्रकार मसीह नासरी के सिलसिला में ख़िलाफ़त चलाई गई थी उसी प्रकार तुम्हारे अन्दर भी चलाऊँगा। परन्तु हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़र्माते हैं कि मूसा के सिलसिला में मसीह आया और मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) के सिलसिला में भी मसीह आया परन्तु मुहम्मदी सिलसिला का मसीह पहले मसीह से श्रेष्ठ है इसलिए वे त्रुटियाँ जो पहले मसीह की जमाअत ने कीं अल्लाह तआला की कृपा से वे मुहम्मदी मसीह की जमाअत नहीं करेगी। उन्होंने ख़ुदा को भुला दिया और एक असहाय व्यक्ति को ख़ुदा का बेटा बनाकर पूजने लग गए। परन्तु मुहम्मदी मसीह ने अपनी जमाअत को अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना करने के विरुद्ध बड़ी सख़्ती से शिक्षा दी है बल्कि ख़ुद क़ुरआन करीम ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर तुम ख़िलाफ़त पाना चाहते हो तो फिर अल्लाह के सिवा किसी और की उपासना कभी न करना बल्कि सिर्फ़ मेरी भक्ति को हमेशा स्थापित रखना जैसा कि इस आयत-

يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا

में संकेत किया गया है (अर्थात् वे मेरी उपासना करेंगे और किसी को मेरा साझीदार नहीं ठहराएँगे) अतएव यदि जमाअत इस सिद्धान्त पर अडिग रहेगी तभी वह ईनाम पाएगी। क़ुरआन करीम ने अल्लाह के सिवा किसी अन्य की उपासना करने के विरुद्ध इतनी दृढ़तापूर्वक शिक्षा दी है कि जिसका हज़ारवाँ भाग भी इन्जील में नहीं। तथा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के सिवा किसी अन्य की उपासना के विरुद्ध इतनी दृढ़तापूर्वक शिक्षा दी है, जो कि हज़रत मसीह नासरी की मौजूदा शिक्षाओं में नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त आपकी ईशवाणियों में भी यह शिक्षा पाई जाती है जो कि आपकी निम्नलिखित ईशवाणी से स्पष्ट है :-

خُذُوا التَّوْحِيْدَ التَّوْحِيْدَ يَا اَبْنَاءَ الْفَارِسِ (تزکرہ طبع اوّل صفحہ: 232)

(तज़्किरह : प्रथम संस्करण पृष्ठ 232)

हे मसीह मौऊद की सन्तान ! तौहीद (एकेश्वरवाद) को हमेशा क़ायम रखो। अत: इस सम्बन्ध में ख़ुदा

तआला ने तौहीद पर इतना बल दिया है कि इसको देखते हुए क़ुरआन की शिक्षा पर ग़ौर करने से यह मालूम होता है कि अल्लाह तआला अपनी कृपा से तौहीद-ए-कामिल (पूर्णत: एकेश्वरवाद की आस्था) अहमदियों में स्थापित रखेगा। जिसके परिणाम स्वरूप ख़िलाफ़त भी उनके अन्दर क़ायम रहेगी और वह ख़िलाफ़त पूर्णत: इस्लाम की सेवक होगी। हज़रत मसीह नासरी की ख़िलाफ़त की तरह वह स्वयं उसके अपने धर्म को तोड़ने वाली नहीं होगी।

जमाअत-ए-अहमदिया में ख़िलाफ़त क़ायम रहने की ख़ुशख़बरी

मैंने बताया है कि जिस प्रकार क़ुरआन करीम ने वर्णन किया है कि ख़लीफ़े (उत्तराधिकारी) होंगे। तथा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़र्माया है कि मेरे पश्चात् ख़लीफ़े (उत्तराधिकारी) होंगे फिर कष्टदायक बादशाहत का दौर आएगा। फिर इससे बढ़कर बलात (जबरी) बादशाहत का दौर आएगा। इसके बाद नुबुव्वत के मार्ग पर ख़िलाफ़त क़ायम होगी।

(मिश्कात बाबुल इंज़ार व अहत्तहज़ीर)

इसी प्रकार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी क़ुरआन करीम और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथानुसार अल्-वसीयत में फ़र्माया है कि :-

"हे प्यारो ! जब कि पुरातन से अल्लाह तआला का विधान यही है कि ख़ुदा तआला दो क़ुदरतें दिखलाता है ताकि विरोधियों की दो झूठी खुशियों को रौंद करके दिखलावे। अत: अब ऐसा सम्भव नहीं कि ख़ुदा तआला अपने पहले विधान को छोड़ देवे। इसलिए तुम मेरी इस बात से जो मैंने तुम्हारे सामने वर्णन की, दु:खी मत हो और तुम्हारे दिल परेशान न हो जाएँ। क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी क़ुदरत का देखना भी ज़रूरी है और उसका आना तुम्हारे लिए बेहतर है क्योंकि वह हमेशा रहने वाली है जिसका सिलसिला क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा।" (अल्-वसीयत पृष्ठ 6-7)

अतएव यदि तुम सन्मार्ग पर चलते रहोगे तो ख़ुदा का मुझ से वादा है कि जो दूसरी क़ुदरत अर्थात् ख़िलाफ़त तुम्हारे अन्दर आएगी वह क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी। ईसाइयों को देख लो चाहे झूठी ख़िलाफ़त ही सही 19 सौ साल से वे उसको लिए चले आ रहे हैं। परन्तु मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि हज़रत मसीह मौऊद की ख़िलाफ़त को अभी 48 वर्ष ही हुए हैं कि कई बिल्लियाँ छिछड़ों के सपने देखने लगीं और ख़िलाफ़त को तोड़ने की चिन्ता में लग गईं।

फिर फ़र्माते हैं कि :-

"तुम ख़ुदा की दूसरी क़ुदरत के इंतज़ार में इकट्ठे होकर दुआएँ करते रहो।" (अल् वसीयत -7)

अत: तुमको भी चाहिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदेश के अनुसार दुआएँ करते रहो कि हे अल्लाह ! हमको ख़िलाफ़त पर ईमान लाने वाला रखना, और उसके अनुसार कार्य करने की शक्ति देना और हमें हमेशा इस का पात्र बनाना कि हम में से ख़लीफ़े (उत्तराधिकारी) बनते रहें और क़यामत तक यह सिलसिला जारी रहे ताकि हम एक झण्डे के नीचे होकर और एक कतार में

खड़े होकर इस्लाम का धर्मयुद्ध सारी दुनिया से लड़ते रहें और फिर सारी दुनिया को जीतकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरणों में झुका दें क्योंकि यही हमारी स्थापना और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के प्रादुर्भाव का उद्देश्य है।

दूसरी क़ुदरत से तात्पर्य ख़िलाफ़त है

यह जो मैंने दूसरी क़ुदरत के अर्थ ख़िलाफ़त के किए हैं इसे सिर्फ़ अपनों ने ही नहीं बल्कि दूसरों नें भी स्वीकार किया है अत: ख़्वाजा कमालुद्दीन साहिब लिखते हैं :-

"संस्थापक जमाअत अहमदिया अलैहिस्सलाम का जनाज़ा क़ादियान में पढ़े जाने से पहले आपके वसाया (उत्तरदान) किताब अल्-वसीयत में लिखित आपकी वसीयतों के अनुसार क़ादियान में मौजूद सदर अंजुमन अहमदिया के सदस्यों और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के निकटस्थ लोगों की परामर्श एवं हज़रत उम्मुल मोमिनीन की अनुमति से सारी क़ौम ने जो क़ादियान में मौजूद थी जिसकी संख्या उस समय बारह सौ थी, हाजी हकीम नूरुद्दीन साहिब सल्लमहू को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उत्तराधिकारी और ख़लीफ़ा क़ुबूल कर लिया और उनके हाथ पर बैअत की।......... जमाअत के सभी सदस्यों को सूचित करने के लिए यह पत्र लिखा जाता है। (बदर 2 जून 1908 ई.)

यह पत्र जो उन्होंने प्रकाशित किया इसमें मौलवी मुहम्मद अली साहब, शेख़ रहमतुल्लाह साहब तथा डा. याक़ूब बेग़ साहब इत्यादि का भी उन्होंने वर्णन किया है कि विश्वसनीय सदस्यों में से वे उस अवसर पर मौजूद थे तथा उन्होंने प्रथम उत्तराधिकारी की बैअत की। अत: उन लोगों ने इस युग में यह मान लिया कि यह जो "दूसरी क़ुदरत" की भविष्यवाणी थी यह ख़िलाफ़त के बारे में थी क्योंकि अल् वसीयत में इसके अतिरिक्त और कोई वर्णन नहीं कि तुम "दूसरी क़ुदरत" के लिए प्रार्थनाएँ करते रहो और ख़्वाजा साहिब लिखते हैं कि अल् वसीयत के आदेशानुसार हमने बैअत की। अत: ख़्वाजा साहिब का

अपना बयान मौजूद है कि अल् वसीयत में जो भविष्यवाणी की गई थी वह ख़िलाफ़त के बारे में थी और दूसरी क़ुदरत से तात्पर्य "ख़िलाफ़त" ही है। अतएव प्रथम उत्तराधिकारी के हाथ पर ख़्वाजा कमालुद्दीन साहब, मौलवी मुहम्मद अली साहब, तथा उनके साथियों का बैअत करना और इसी प्रकार मेरा और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के परिवार के सभी सदस्यों का बैअत करना इस बात का प्रमाण है कि सारी जमाअत अहमदिया ने पूर्ण रूप से ख़िलाफ़त-ए-अहमदिया को स्वीकार कर लिया। इसके बाद प्रथम उत्तराधिकारी के स्वर्गवास के पश्चात् प्रथम उत्तराधिकारी के परिवार के सभी सदस्यों तथा जमाअत के 99% लोगों का मेरे हाथ पर बैअत कर लेना इस बात का भारी प्रमाण है कि जमाअत अहमदिया इस बात पर विश्वास रखती है कि "ख़िलाफ़त-ए-अहमदिया" का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा।

भविष्य में ख़िलाफ़त के चयन के लिए दिशा निर्देश

चूँकि इस समय खलीफ़तुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु के परिवार में से कुछ ने तथा उनके मित्रों ने ख़िलाफ़त-ए-अहमदिया का प्रश्न फिर उठाया है इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि इस विषय पर पुन: रोशनी डालूँ और जमाअत के आगे ऐसी योजनाएँ पेश करूँ जिनसे ख़िलाफ़त-ए-अहमदिया शरारतों से सुरक्षित हो जाए।

मैंने इस से पहले जमाअत के मित्रों से परामर्श करने के पश्चात् यह निर्णय किया था कि खलीफ़ा-ए-वक़्त की मृत्यु के पश्चात् जमाअत अहमदिया की परामर्श समिति दूसरा उत्तराधिकारी चुने परन्तु मौजूदा फ़ित्ने ने बता दिया है कि यह ढंग ठीक नहीं। क्योंकि कुछ लोगों ने यह कहा है कि हम द्वितीय उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात् मियाँ अब्दुल मन्नान की बैअत करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। इससे ज्ञात होता है कि इन लोगों ने यह समझा है कि केवल दो तीन आदमी ही यदि किसी की बैअत कर लें तो वह ख़लीफ़ा हो जाता है तथा इससे यह भी ज्ञात होता है कि जमाअत में फूट पैदा हो सकती है यदि वह फूट पैदा करने वाला ग़ुलाम रसूल नं. 35 जैसा ही आदमी हो और चाहे वह डाहड़ा जैसा गुमनाम आदमी ही हो। वे दावा तो यही करेंगे कि ख़लीफ़ा चुना गया है जिससे जमाअत में परेशानी पैदा होगी। इसलिए वह पहला ढंग जो लम्बी प्रक्रिया वाला है मैं उसको रद्द करता हूँ तथा उसके स्थान पर उससे अत्यन्त छोटा तरीक़ा प्रस्तुत करता हूँ। नि:सन्देह हमारा दावा है कि ख़लीफ़ा ख़ुदा बनाता है लेकिन इसके बावजूद इतिहास के इस साक्ष्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ख़लीफ़े शहीद भी हो सकते हैं। जिस प्रकार हज़रत उमर, हज़रत उस्मान तथा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए तथा ख़िलाफ़त समाप्त भी की जा सकती है। जिस प्रकार हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के पश्चात् ख़िलाफ़त समाप्त हो गई। जो आयत मैंने इस समय पढ़ी है उससे भी यही सिद्ध होता है कि मुसलमानों में ख़िलाफ़त स्थापित रखने का अल्लाह तआला का वचन भी एक शर्त पर आधारित है। क्योंकि उपरोक्त आयत में यही बताया गया है कि अल्लाह तआला ख़िलाफ़त पर ईमान लाने वालों और उसकी स्थापना के लिए उचित कार्य करने वालों से वादा करता है कि वह उनमें ख़िलाफ़त को स्थापित रखेगा। अत: ख़िलाफ़त का होना एक

पुरस्कार है, भविष्यवाणी नहीं। अगर पेशगोई होती तो हज़रत इमाम हसन के पश्चात् ख़िलाफ़त का समाप्त होना नऊज़ोबिल्लाह क़ुरआन करीम को झूठा सिद्ध कर देता। किन्तु क़ुरआन करीम ने पुरस्कार को शर्त से संबद्ध रखा है इसलिए अब हम यह कहते हैं कि इमाम हसन के ज़माने में साधारणत: मुसलमान ख़िलाफ़त पर पूर्णत: ईमान रखने वाले नहीं रह गए थे और ख़िलाफ़त के क़ायम रखने एवं उसकी सुरक्षा के लिए सही प्रयत्न करने उन्होंने छोड़ दिये थे इसलिए अल्लाह ने इस पुरस्कार को वापिस ले लिया और ख़िलाफ़त के समाप्त हो जाने के बावजूद क़ुरआन सच्चा रहा झूठा नहीं हुआ। वही दशा अब भी होगी, यदि जमाअत अहमदिया ख़िलाफ़त के ईमान पर क़ायम रही और इसकी स्थापना के लिए सच्ची कोशिशें करती रही तो इसमें भी क़यामत तक ख़िलाफ़त क़ायम रहेगी जिस प्रकार ईसाइयों में पॉप की सूरत में अब तक क़ायम है यद्यपि वह बिगड़ चुकी है लेकिन उसके बिगड़ने से अहमदिय्यत पर कोई असर नहीं पड़ सकता। किन्तु इस फ़साद से यह पता अवश्य लगता है कि शैतान अभी निराश नहीं हुआ। पहले तो शैतान ने पैग़ामियों की जमाअत बनाई लेकिन 42 वर्ष के पश्चात् उस बासी कढ़ी में फिर उबाल आया और वे भी मौलवी अब्दुल मन्नान और अब्दुल वहाब के पक्ष में लेख लिखने लगे तथा इन्हीं में से एक व्यक्ति मुहम्मद हुसैन चीमा ने भी एक लेख प्रकाशित किया कि "हमारा निज़ाम (व्यवस्था) और हमारा स्टेज और हमारी जमाअत तुम्हारी सहायत के लिए तैयार है। शाबाश ! हिम्मत करके खड़े रहो मिर्ज़ा महमूद से दबना नहीं इसकी ख़िलाफ़त के पर्दे चाक करके रख दो। हमारी मदद तुम्हारे साथ है।" कोई उनसे पूछे कि तुमने मौलवी मुहम्मद अली साहब को क्या मदद दी थी। मौलवी मुहम्मद अली साहब भी तुम्हारे लीडर थे और ख़्वाजा कमालुद्दीन भी तुम्हारे लीडर थे उनकी तुमने क्या मदद की थी जो आज अब्दुल मन्नान और अब्दुल वहाब की मदद करोगे। अत: यह बातें सिर्फ़ ढ़कोसला हैं। इनसे सिर्फ़ हमें सचेत किया गया है ख़ुदा तआला ने हमें बताया है कि संतुष्ट न हो जाना और यह न समझना कि ख़ुदा चूँकि ख़िलाफ़त स्थापित किया करता है इसलिए कोई डर की बात नहीं। तुम्हारे ज़माने में भी फ़ित्ने खड़े हो रहे हैं तथा इस्लाम के प्रारम्भिक युग में भी फ़ित्नें खड़े हुए थे। इसलिए ख़िलाफ़त को ऐसे ढंग से चलाओ जो ज़्यादा आसान हो। कोई एक दो लफंगे उठकर और किसी के हाथ पर बैअत करके यह न कह दें कि चलो ख़लीफा नियुक्त हो गया है। अत: इस्लामी नियमानुसार जो कि मैं आगे वर्णन करूँगा, आने वाली ख़िलाफ़त के लिए यह नियम कि मजलिस शूरा (परामर्श समिति) ख़लीफ़ा नियुक्त करे निरस्त करता हूँ और यह नियम बनाता हूँ कि अगामी ख़िलाफ़त की नियुक्ति का जब भी समय आए तो सदर अन्जुमन अहमदिया के नाज़िर और मेम्बर और तहरीक-ए-जदीद के अफ़्सर तथा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के परिवार के जीवित लोग उसमें शामिल हों तथा अब पुनर्विचार करते समय यह बात भी कुछ दोस्तों की सलाह से बढ़ाता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी भी जिन को सदर अंजुमन अहमदिया जांच पड़ताल के पश्चात् तुरन्त सहाबी होने का प्रमाणपत्र दे दे और जामिया-तुल-मुबश्शरीन का प्रिंसीपल और जामिया अहमदिया का प्रिंसीपल और मुफ़्ती सिलसिला-अहमदिया और पंजाब और सिंध के समस्त ज़िलों के अमीर जमाअत (अध्यक्ष) तथा पश्चिमी पाकिस्तान और कराची का

अमीर जमाअत तथा पूर्वी पाकिस्तान का अमीर जमाअत मिल कर उसका चयन करें।

इसी तरह पुनर्विचार के पश्चात् मैं यह बात भी जोड़ता हूँ कि ऐसे भूतपूर्व अमीर जमाअत जो दो बार किसी ज़िले के अमीर रह चुके हों लेकिन नियुक्ति के समय किसी लाचारी के कारण अमीर न रहे हों वे भी इस सूची में शामिल किए जाएँ। इसी तरह ऐसे सारे मुबल्लिग़ (प्रचारक) जो एक वर्ष तक विदेश में कार्यरत रहे हों और बाद में सिलसिला की ओर से उन पर कोई आरोप न लगा हो। ऐसे मुबल्लिग़ों की सूची तैयार करना मज्लिस तहरीक का काम होगा। इसी तरह ऐसे सारे मुबल्लिग़ (प्रचारक) भी जिन्होंने पाकिस्तान के किसी ज़िले या प्रांत में रईसुत्तब्लीग़ (प्रचाराध्यक्ष) के तौर पर कम से कम एक वर्ष तक काम किया हो जिनकी सूची तैयार करना सदर अन्जुमन अहमदिया के ज़िम्मे होगा। परन्तु शर्त यह होगी कि वे मौक़ा पर पहुँच जाएँ। सैक्रेटरी शूरा (सचिव परामर्श समिति) चयन स्थल पर शीघ्र पहुँचने के लिए सारे देश में घोषणा करे कि जल्दी पहुँच जाओ। इसके पश्चात् जो न पहुँचे उसका अपना दोष होगा। और उसकी अनुपस्थिति से ख़िलाफ़त का चुनाव प्रभावित नहीं होगा। यह बहाना न सुना जाएगा कि समय पर सूचना प्रकाशित नहीं हुई। यह उनका अपना काम है कि वे पहुँचें। सैक्रेटरी शूरा का कार्य उनको लाना नहीं है। उस का काम सिर्फ यह होगा कि वह एक ऐलान कर दे और अगर सेक्रेटरी शूरा कहे कि मैंने ऐलान कर दिया था, तो वह चुनाव उचित समझा जाएगा। निर्धारित समय के पश्चात् पहुँचने वालों में से किसी का यह कहना कि मुझे ख़बर नहीं पहुँची, उसका कोई महत्व नहीं होगा। न क़ानूनी तौर पर और न ही शरीअत की दृष्टि से। ये सब लोग मिलकर जो निर्णय करेंगे वह सारी जमाअत के लिए स्वीकार्य होगा और जमाअत में से जो व्यक्ति उसका विरोध करेगा वह विद्रोही होगा और जब भी ख़िलाफ़त के चयन का समय आए और निर्धारित नियमानुसार जो भी ख़लीफ़ा चुना जाए मैं उसको अभी से ख़ुशख़बरी देता हूँ कि अगर इस क़ानून के अनुसार वह चुना जाएगा तो अल्लाह तआला उसके साथ होगा और जो भी उसके मुक़ाबले पर खड़ा होगा चाहे वह बड़ा हो या छोटा अपमानित किया जाएगा और नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) केवल इसलिए खड़ा होगा कि वह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई को पूरा करे कि ख़िलाफ़त-ए-इस्लामिया सदा क़ायम रहे। चूँकि वह क़ुरआन और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बातों को पूरा करने के लिए खड़ा होगा, इसलिए उसे डरना नहीं चाहिए।

जब मुझे ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) चुना गया था तो सिलसिला अहमदिया के बड़े-बड़े लीडर सारे विरोधी हो गए थे और ख़ज़ाना में कुल अठारह आने पैसे थे। अब तुम बताओ, अठारह आने में हम तुमको एक नाश्ता भी दे सकते हैं? फिर ख़ुदा तआला तुमको खींचकर ले आया। उस समय यह हालत थी कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मृत्यु के समय सिर्फ़ बारह सौ आदमी इकट्ठे हुए थे और अब आज की रिपोर्ट यह है कि रब्वा के आदमियों को मिला कर इस समय जलसा मर्दाना और ज़नाना (स्त्रियों) की संख्या पचपन हज़ार है। आज रात को 43 हज़ार मेहमानों को खाना खिलाया गया है। 12 हज़ार रब्वा वाले

मिला लिए जाएँ तो 55 हज़ार हो जाते हैं। अत: पुरुषों और स्त्रियों को मिलाकर इस समय हमारी गिनती 55 हज़ार है उस समय 1200 थी। ये 55 हज़ार कहाँ से आए? ख़ुदा ही लाया। अत: मैं ऐसे व्यक्ति को जिस को ख़ुदा तआला तृतीय ख़लीफ़ा बनाए अभी से ख़ुशख़बरी देता हूँ कि अगर वह ख़ुदा तआला पर ईमान लाकर खड़ा हो जाएगा तो मन्नान, वहाब और पैग़ामी क्या चीज़ हैं? अगर दुनिया की सरकारें भी उससे टक्कर लेंगी तो वे टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगी। जमाअत अहमदिया को प्रथम खलीफ़ा की सन्तान से कदापि कोई लगाव नहीं। जमाअत अहमदिया को ख़ुदा की ख़िलाफ़त से प्रेम है और वह ख़ुदा की ख़िलाफ़त के आगे और पीछे लड़ेगी और किसी भी दुष्ट को जो ख़िलाफ़त के विरुद्ध है निकट नहीं आने देगी।

अब यह देख लो, अभी तुम गवाहियाँ सुन चुके हो कि अब्दुल वहाब अहरारियों से मिलकर क़ादियान की ख़बरें सुनाया करता था। और तुम यह भी सुन चुके हो कि किस प्रकार पैग़ामियों के साथ उन लोगों के सम्बन्ध हैं अगर न लोगों की योजना सफल हो जाती तो उसका अर्थ यह था कि 42 साल की लड़ाई के बाद तुम लोग अहरारियों और पैग़ामियों के नीचे आ जाते। तुम देखने में इसको छोटी बात समझते हो लेकिन यह छोटी बात नहीं यह एक बहुत बड़ी बात है। अगर ख़ुदा न करे उनकी योजना सफल हो जाती है तो जमाअत अहमदिया मुबाईन (जो बैअत की हुई है) टुकड़े-टुकड़े हो जाती और इसके लीडर होते मौलवी सदरुद्दीन और अब्दुल रहमान मिस्री और इनके नेता होते मौलवी दाऊद गज़नवी और अताउल्लाह शाह बुख़ारी। अब तुम बताओ कि मौलवी अताउल्लाह शाह बुख़ारी और दाऊद ग़ज़नवी अगर तुम्हारे नेता हो जाएँ तो तुम्हारा दुनिया में कोई ठिकाना रह जाए? तुम्हारा ठिकाना तो तभी ही है जब मुबाईन (बैअत किए हुए लोगों) में से ख़लीफ़ा हो और क़ुरआन मजीद ने शर्त लगाई है "मिन्कुम् की" अर्थात् वह मुबाईन (अर्थात् बैअत शुदा लोगों) में से होना चाहिए। उस पर किसी ऐसे का जिसने बैअत न की हो या अहरारी का असर नहीं होना चाहिए। अगर ग़ैर मुबाए (जिसने बैअत न की हो) और अहरारी का उस पर प्रभाव हो तो फिर वह "ना मिन्कुम हो सकता है और न खलीफ़ा हो सकता है।" अत: एक तो मैं यह फ़ैसला करता हूँ कि जब भी वह समय आए, अन्तत: इंसान के लिए कोई दिन आना ही है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सल्लाम का अभी मैंने प्रसंग सुनाया है कि आप ने भी अपनी मौत की सूचना दी और फ़र्माया, परेशान न हों क्योंकि ख़ुदा तआला दूसरी क़ुदरत प्रकट करना चाहता है। अत: दूसरी क़ुदरत का तीसरा द्योतक अगर वह प्रकट करना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है? हर इंसान ने आख़िर मरना है परन्तु मैंने बताया है कि शैतान ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी उसका सर कुचला नहीं गया बल्कि अभी वह तुम्हारे अन्दर दाख़िल होने की आशा रखता है। 'पैग़ाम-ए-सुलह' का समर्थन और मुहम्मद हुसैन चीमा का लेख बताता है कि अभी मारे हुए साँप की दुम हिल रही है। अत: उसको निराश करने के लिए आवश्यक है कि अब यह नियम न रखा जाए कि मुल्तान, कराची, हैदराबाद, क्वेटा और पेशावर आदि सभी स्थान के प्रतिनिधि जो लगभग 500 की संख्या से अधिक होते हैं वे आएं तो चुनाव हो, बल्कि केवल नाज़िरों और वकीलों और नियुक्त किए हुए पुरुषों की सलाह के साथ यदि वे उपस्थित हों, खलीफ़ा का चुनाव होगा। जिसके पश्चात् जमाअत में ऐलान कर दिया जाएगा

और जमाअत उस व्यक्ति की बैअत करेगी। इस प्रकार वह आदेश भी पूरा हो जाएगा कि ख़लीफ़ा ख़ुदा बनाता है और वह आदेश भी पूरा हो जाएगा कि ऐसा वह मोमिनों के द्वारा करता है। ख़िलाफ़त कोई डंडे के साथ तो होती नहीं बल्कि इच्छा से होती है। अगर तुम लोग एक व्यक्ति को देखो कि वह क़ानून के विरुद्ध ख़लीफ़ा बन गया है और उसके साथ मोमिनों का साथ न हो तो उसको न आमदन होगी, न काम कर सकेगा। वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इसी तरह यह कहा गया है कि ख़ुदा तआला ने यह चीज़ अपने अधिकार में रखी है। परन्तु अपने भक्तों के माध्यम से रखी है। अगर सही चुनाव नहीं होगा तो तुम लोग कहोगे कि हम तो नहीं मानते, जो चुनाव का ढंग बनाया गया था उस पर कार्य नहीं हुआ। तो फिर वह स्वयं ही मिट जाएगा लेकिन अगर ख़ुदा तआला ने उसे ख़लीफ़ा बनाया है तो तुम तुरन्त अपना विचार बदलने पर मजबूर हो जाओगे। जिस तरह 1914 ई. में विचार बदलने पर मजबूर हो गए थे। और समूह के समूह भागते हुए उसके पास आओगे और उसकी बैअत करोगे मुझे केवल इतनी चिन्ता है कि शैतान के लिए दरवाज़ा न ख़ुला रहे। इस समय शैतान ने (फ़ित्ने के लिए) प्रथम ख़लीफ़ा के बेटों को चुना है। जिस प्रकार आदम के समय में उसने 'दरख्त-ए-हयात' को चुना था। उस समय भी शैतान ने कहा था कि आदम, मैं तुम्हारी भलाई करना चाहता हूँ। मैं तुमको उस पेड़ से खाने को कहता हूँ जिसके पश्चात् तुमको वह बादशाहत मिलेगी जो कभी ख़राब नहीं होगी और ऐसी ज़िन्दगी मिलेगी जो कभी समाप्त नहीं होगी। अत: इस समय भी लोगों को शैतान ने उसी प्रकार धोखा दिया है कि लो जी ! प्रथम ख़लीफ़ा के बेटों को हम (ख़िलाफ़त के लिए-अनुवादक) पेश करते हैं। हालाँकि आदम को तो धोखा लगने का कारण मौजूद था लेकिन तुम्हारे पास कोई कारण नहीं। क्योंकि प्रथम ख़लीफ़ा के बेटे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों को नष्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि उनका दावा यही है कि ये अपने परिवार में ख़िलाफ़त रखना चाहते हैं। ख़िलाफ़त तो ख़ुदा और जमाअत अहमदिया के हाथ में है। अगर ख़ुदा और जमाअत अहमदिया बनू-फारस में ख़िलाफ़त रखने का फ़ैसला करें तो ये हज़रत ख़लीफ़ा अव्वल (प्रथम ख़लीफ़ा) के बेटे कौन हैं जो इसमें दख़ल दें। ख़िलाफ़त तो हर हाल में ख़ुदा तआला और जमाअत अहमदिया के इख़्तियार में है और ख़ुदा अगर सारी जमाअत को इस तरफ ले आएगा तो फिर किसी की ताक़त नहीं कि वह विरोध में खड़ा हो सके। अत: मैंने यह रास्ता बता दिया है। लेकिन एक कमेटी भी बनाई है जो ईसाइयों के चुनाव के तरीक़ा पर विचार करेगी। क्योंकि क़ुरआन करीम ने फ़र्माया है कि :-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(النور:56)

जिस तरह उसने पहलों को ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) बनाया था उसी तरह तुमको बनाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ईसाई जिस तरह चुनाव करते हैं उसको भी मालूम करो। हमने उस तरीक़े को देखा है मगर अभी पूरी तरह छानबीन नहीं हुई, वह बहुत सादा ढ़ंग है। उसमें जो बड़े-बड़े विद्वान हैं उनकी एक छोटी सी संख्या पोप का चुनाव करती है। तथा शेष ईसाई दुनिया उसे स्वीकार कर लेती है। लेकिन इस कमेटी

की रिपोर्ट से पहले ही मैंने कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं जो इस साल की मज्लिस शूरा (परामर्श सभा) के सामने पेश कर दिए जाएँगे, ताकि किसी दुष्ट को उपद्रव फैलाने का अवसर न मिले। ये नियम चूँकि एक फ़ैसले के रूप में मज्लिस शूरा के सामने अलग से प्रस्तुत होंगे इसलिए इस फ़ैसले के प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। मैंने अतीत के विद्वानों की किताबें पढ़ीं तो उनमें भी यही लिखा हुआ पाया है कि सारे सहाबा(र) और खुल्फ़ा और शरीअत के बड़े-बड़े प्रमुख विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि यह ख़िलाफ़त इजमाअ (जन मत) के साथ होती है। और यह वह जनमत होता है कि يَتَيَسَّرُ اِجْتِمَاعُهُمْ (जिनका एकत्र होना सुगम हो - अनुवादक) (रिसाला अलख़िलाफ़त पृष्ठ 11 लेखक शेख़ रशीद रज़ा मिस्त्री, उद्धृत : अल् मिनहाजुल्लनोवी)

जिन अधिकारियों का एकत्र होना आसान हो। यह तात्पर्य नहीं कि इतना बड़ा समारोह हो कि एकत्रित ही न हो सकें और ख़िलाफ़त ही समाप्त हो जाए। बल्कि ऐसे लोगों का समारोह होगा जिनका एकत्रित होना आसान हो। अत: मैंने एकत्रित होने वालों का एक ऐसा ही गिरोह बना दिया है जिनका एकत्रित होना आसान है और यदि उनमें से कोई न पहुँचे तो उसका दोष समझा जाएगा। लेकिन चुनाव हर दशा में स्वीकार्य होगा और हमारी जमाअत उस चुने हुए के पीछे चलेगी। परन्तु जमाअत के लोगों को मैं यह आदेश नहीं देता बल्कि इस्लाम का बताया हुआ ढंग बयान कर देता हूँ ताकि वे गुमराह होने से बच जाएँ।

हाँ, जहाँ मैंने ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) के चुनाव का उपाय बताया है वहाँ यह भी शरीअत का आदेश है कि जिस व्यक्ति के बारे में कोई प्रोपेगंडा किया जाए वह ख़लीफ़ा नहीं हो सकता या जिन लोगों के बारे में प्रोपेगंडा किया जाए वे ख़लीफ़ा नहीं बन सकते। और वह भी जिसको स्वयं इच्छा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़र्माया है कि उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को पद न दिया जाए। अतएव प्रथम ख़लीफ़ा की मौजूदा सन्तान बल्कि कई पौत्रों तक ने प्रोपेगंडा में भाग लिया है। इसलिए ख़लीफ़ा अव्वल के पुत्रों या उनके पौत्रों का नाम ऐसे चुनाव में कदापि नहीं प्रस्तुत हो सकेगा एक तो इसलिए कि उन्होंने प्रोपेगंडा किया है और दूसरे इसलिए कि इस कारण से ही उनको जमाअत से निकाला गया है। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक सपना भी बताता है कि इस परिवार में केवल एक ही फांक (एक हिस्सा) ख़िलाफ़त की जानी है। और पैग़ामे सुलह ने भी स्वीकार कर लिया है कि इससे तात्पर्य ख़िलाफ़त की फांक है। अत: मैं ख़िलाफ़त के लिए इंकार करता हूँ ख़लीफ़ा अव्वल की सन्तान का और उनके पोतों का और ऐसे सभी व्यक्तियों का जिनके समर्थन में पैग़ामी या अहरारी हों या जिनको जमाअत मुबाईन से निकाला गया हो। और समर्थन करता हूँ क़ुरआन के अनुसार (मिन्कुम) के नीचे आने वालों का अर्थात् जो ख़िलाफ़त को मानने वाले हों चाहे वह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस्मानी नस्ल हों या रूहानी नस्ल हों। सिलसिला अहमदिया के सारे विद्वान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की रूहानी नस्ल हैं। और जिस्मानी नस्ल तो दिखाई ही देती है उनका नाम विशेष रूप से लेने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कहते हैं कि अपने बेटों को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। इस

समय रूहानी नस्ल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस लाख है और जिस्मानी नस्ल में से इस समय केवल तीन व्यक्ति ज़िन्दा हैं। एक दामाद को भी शामिल कर लिया जाए तो चार बन जाते हैं। इतनी बड़ी जमाअत के लिए मैं यह कह रहा हूँ कि इन में से कोई भी ख़लीफ़ा हो। इसको अगर यह कहा जाए कि मैं अपने अमुक पुत्र को ख़लीफ़ा बनाना चाहता हूँ तो ऐसा सोचने वाले से बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। मैं तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस्मानी नस्ल के चार व्यक्तियों और इस समय तक की दस लाख रूहानी नस्ल को ख़िलाफ़त का हक़दार ठहराता हूँ (सम्भव है मेरे मरने तक दस करोड़ तक संख्या पहुँच जाए) अत: जो व्यक्ति यह कहता हो कि इन दस करोड़ में से जो ख़िलाफ़त पर ईमान रखते हों किसी को भी ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) चुन लो उसके बारे में यह कहना कि वह अपने किसी पुत्र को ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) बनाना चाहता है अत्यधिक मूर्खता का दावा होगा। मैं केवल यह शर्त रखता हूँ कि मिन्कुम् के शब्दों को दृष्टि में रखते हुए ख़लीफ़ा चुना जाए और चूँकि हज़रत ख़लीफ़ा अव्वल (प्रथम उत्तराधिकारी) की नस्ल ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह पैग़ामियों के साथ हैं और पैग़ामी उनके साथ हैं और अहरारी भी उनके साथ हैं और ग़ज़नवी परिवार जो कि सिलिसिला के आरम्भिक दुश्मनों में से है उनके साथ है इसलिए वे अब मिन्कुम् की श्रेणी के मोमिनों में नहीं रहे इसलिए उनमें से किसी का खलीफ़ा बनने के लिए नाम नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। और यह कह देना कि उन में से ख़लीफ़ा नहीं हो सकता, यह इस बात के विरुद्ध नहीं कि ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) ख़ुदा बनाता है। सवाल यह है कि जब ख़लीफ़ा ख़ुदा बनाता है तो उनके मुँह से वे बातें जो ख़िलाफ़त के विरुद्ध हैं कहलवाईं किस ने? यदि ख़ुदा चाहता कि वे ख़लीफ़ा बनें तो उनके मुँह से वे बातें क्यों कहलवाता? यदि ख़ुदा चाहता कि वे ख़लीफ़ा बनें तो उनकी ये बातें मुझ तक क्यों पहुँचा देता, जमाअत तक क्यों पहुँचा देता? ये सब बातें ख़ुदा के अधिकार में हैं इसलिए उनके न होने से भी सिद्ध होता है कि ख़लीफ़ा ख़ुदा ही बनाता है और जमाअत अहमदिया मुबाईन में से किसी का ख़लीफ़ा होना भी स्पष्ट करता है कि ख़लीफ़ा ख़ुदा बनाता है। दोनों बातें यही सिद्ध करती हैं कि ख़ुदा ही ख़लीफ़ा बनाता है अत: जो भी ख़लीफ़ा होगा वह "मिन्कुम" (अर्थात् तुम में से ही) होगा। जिसका अर्थ यह है कि वह ख़िलाफ़त-अहमदिया को मानने वाला होगा और जमाअत मुबाईन में से बहिष्कृत नहीं होगा। इसलिए मैं यह भी शर्त रखता हूँ कि जो भी ख़लीफ़ा चुना जाए वह खड़े होकर यह क़सम खाए कि मैं ख़िलाफ़त अहमदिया पर ईमान रखता हूँ और मैं ख़िलाफ़त अहमदिया को क़यामत तक जारी रखने के लिए पूरी कोशिश करता रहूँगा और इस्लाम धर्म के प्रचार को दुनिया के किनारों तक पहुँचाने के लिए अत्यन्त कोशिश करता रहूँगा। और मैं हर ग़रीब और अमीर अहमदी के अधिकारों का ध्यान रखूँगा। और यदि मैं बुरी नीयत से कह रहा हूँ या अगर मैं जानबूझ कर ऐसा करने से सुस्ती करूँ तो ख़ुदा की मुझ पर लानत (धिक्कार) हो। जब वह यह सौगन्ध खा लेगा तो फिर उसकी बैअत की जाएगी इससे पहले नहीं की जाएगी। इसी प्रकार निर्वाचन समिति में से हर व्यक्ति शपथ खाकर यह ऐलान करे कि मैं ख़िलाफ़त-ए-अहमदिया को मानने वाला हूँ और किसी ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं दूँगा जो जमाअत मुबाईन में से बहिष्कृत हो या उसका सम्बन्ध ग़ैर-मुबाईन या ग़ैर अहमदियों के साथ सिद्ध हो। अतएव पहले निर्वाचन समिति के

सदस्य उसका चुनाव करेंगे। फिर वह यह शपथ लेगा कि मैं सच्ची ख़िलाफत-ए-अहमदिया पर ईमान रखता हूँ और मैं उनको जो ख़िलाफत-ए-अहमदिया के विरुद्ध हैं जैसे पैग़ामी या अहरारी इत्यादि उनको असत्य के मार्ग पर समझता हूँ।

अब उन लोगों को देख लो। उनके लिए किस प्रकार अवसर था मैंने मरी नामक स्थान पर ख़ुत्बा दिया था और उसमें कहा था कि सीधे रास्ते पर चलने से सब बातें हल हो जाती हैं। ये लोग भी सीधे रास्ते पर चलें और इसका ढंग यह है कि पैग़ामी मेरे बारे में कहते हैं कि यह हज़रत ख़लीफ़ा अव्वल (प्रथम उत्तराधिकारी) का अपमान कर रहा है। यह ऐलान कर दें कि पैग़ामी झूठे हैं। हमारा पिछला बीस वर्षीय अनुभव है कि पैग़ामी ख़िलाफ़त का अपमान करते चले आए हैं और मुबाईन नहीं करते रहे बल्कि बचाव करते रहे हैं। परन्तु इसके बावजूद उनको तौफ़ीक नहीं मिली और यूँ ही माफ़ी नामे छाप रहे हैं। डरते हैं कि अगर हम ने यह ऐलान किया तो हमारा अड्डा जो ग़ैर-मुबाईन और अहरारियों का है वह टूट जाएगा। अत: यदि अड्डा बनाने की चिन्ता न होती तो क्यों इन्होंने ऐलान न किया। इन्होंने ऐलान कभी नहीं किया। चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब ने मुझे सुनाया कि अब्दुल मन्नान ने उनसे कहा कि हम इसलिए लिखकर नहीं भेजते कि फिर बहस होगी कि यह शब्द क्यों नहीं लिखा, वह शब्द क्यों नहीं लिखा। अगर ईमानदारी है तो निस्सन्देह बहस हो नुकसान क्या है। जो व्यक्ति सत्य के प्रकट करने में बहस से डरता है तो उसके स्पष्ट अर्थ ये होते हैं कि वह सच्चाई को छुपाना चाहता है और सच्चाई के स्थायित्व के विरुद्ध है।

अतएव जब तक शूरा (परामर्श समिति) में मामला पेश होने के बाद मैं कोई दूसरा फ़ैसला लागू न करूँ ऊपर का फ़ैसला जारी रहेगा।

तुम्हें ख़ुशखबरी हो कि जिस प्रकार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पश्चात् ख़िलाफ़त चली थी, घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारे अन्दर भी उसी प्रकार चलेगी। उदाहणतया हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहो अन्हों के पश्चात् हज़रत उमर ख़लीफ़ा हुए। मेरा नाम उमर नहीं बल्कि महमूद है। परन्तु ख़ुदा की वाणी में मेरा नाम फ़ज़्ले उमर रखा गया है और उसने मुझे द्वितीय ख़लीफ़ा बना दिया जिसका अर्थ यह है कि यह ख़ुदा का काम था। ख़ुदा चाहता था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़िलाफ़त बिल्कुल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद की ख़िलाफ़त की तरह हो। मैं जब ख़लीफ़ा चुन लिया गया तो हज़ारा से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैंने सपने में देखा था कि में हज़रत उमर रज़ियल्लाह अन्हु की बैअत कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया तो आपकी शक्ल देखी और दूसरे मैंने हज़रत उमर को देखा कि उनके बांयीं ओर सिर पर एक दाग़ था। मैं जब आपकी प्रतीक्षा कर रहा था तब आप ने अपना सिर खुजलाया और पगड़ी उठाई तो मैंने देखा कि वह दाग़ आप में विद्यमान था। इसलिए मैं आपकी बैअत करता हूँ। फिर हम ने इतिहास निकाला तो इतिहास में भी मिल गया कि हज़रत उमर को बायीं ओर खुजली हुई थी और सिर में दाग़ पड़ गया था। इस तरह नाम की समानता भी हो गई और शक्ल की समानता भी हो गई। परन्तु एक समानता नई निकली है वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगे। वह यह है कि हज़रत उमर ने जब अपनी आयु का अन्तिम हज किया तो

उस समय आपको यह सूचना मिली कि किसी ने कहा है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का चुनाव तो अचानक हो गया था अर्थात् हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी बैअत कर ली। अत: केवल एक एक या दो मोमिन बैअत कर लें तो काफ़ी हो जाता है और वह व्यक्ति ख़लीफ़ा हो जाता है और हमें ख़ुदा की सौगन्ध यदि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मृत्यु पा गए तो हम केवल अमुक व्यक्ति की ही बैअत करेंगे और किसी की नहीं करेंगे।

(तारीख़ुल खुलफ़ा लिस् सुयूती पृष्ठ 63 और रिसाला अल-ख़िलाफ़त पृष्ठ 13)

जिस प्रकार ग़ुलाम रसूल नं. 35 और उसके साथियों ने कहा कि द्वितीय ख़लीफ़ा की मृत्यु हो गई तो हम केवल अब्दुल मन्नान की बैअत करेंगे। देख लो यह भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहो अन्हो से समानता हो गई। हज़रत उमर के युग में भी एक व्यक्ति ने सौगन्ध खाई थी कि हम और किसी की बैअत नहीं करेंगे बल्कि अमुक व्यक्ति की ही करेंगे। इस समय भी ग़ुलाम रसूल न. 35 और उसके कुछ साथियों ने यही कहा है। जब हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को यह सूचना मिली तो आपने यह नहीं किया जैसे मौलवी अली मुहम्मद अजमेरी ने प्रकाशित किया था कि आप पाँच वकीलों का एक कमीशन नियुक्त करें जो जांच पड़ताल करे कि बात कौन सी सच्ची है। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहो अन्हु) ने एक भी वकील का कमीशन नियुक्त नहीं किया और कहा कि मैं खड़े होकर इसका खण्डन करूँगा। बड़े-बड़े सहाबा उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हुज़ूर यह हज का समय है और चारों ओर से लोग आए हुए हैं उनमें बहुत से अनपढ़ भी हैं। उन के सामने अगर आप वर्णन करेंगे तो पता नहीं क्या-क्या बातें वे बाहर मशहूर करेंगे। जब मदीना में जाएँ तो फिर वर्णन करें। अत: जब हज़रत उमर (रज़ियल्लाहो अन्हु) हज से वापिस आए तो मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंच पर खड़े हो गए और खड़े हो कर कहा कि हे लोगों ! मुझे सूचना मिली है कि तुम में से किसी ने कहा है कि अबू बकर (रज़ियल्लाहो अन्हु) की बैअत तो अचानक घटना थी। अब अगर उमर (रज़ियल्लाहो अन्हु) मर जाए तो हम अमुक व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और की बैअत नहीं करेंगे। अत: कान खोल कर सुन लो कि जिसने यह कहा था कि अबू बकर (रज़ियल्लाहो अन्हु) की बैअत अचानक हो गई थी उसने ठीक कहा है। लेकिन ख़ुदा तआला ने मुसलमानों को इस जल्दबाज़ी के काम से परिणाम से बचा लिया और यह भी याद रखो कि तुम में से कोई व्यक्ति अबू बकर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के समान नहीं जिसके पास लोग दूर-दूर से धर्म और अध्यात्म सीखने के लिए आते थे। अत: इस भ्रम में न पड़ो कि एक दो व्यक्तियों की बैअत से बैअत हो जाती है और आदमी ख़लीफ़ा बन जाता है क्योंकि यदि मुसलमानों की जनता की राय के बिना किसी व्यक्ति ने किसी की बैअत की, तो न बैअत करने वाले की बैअत होगी और न वह व्यक्ति जिसकी बैअत की गई है वह ख़लीफ़ा हो जाएगा बल्कि दोनों इस बात का ख़तरा महसूस करेंगे कि सभी मुसलमान मिलकर उनका मुक़ाबला न करें और उनका किया कराया बेकार हो जाएगा। हालाँकि अबूबकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैअत केवल इस खतरे से की गई थी कि मुहाजरीन (इससे तात्पर्य वे लोग हैं जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की) और अन्सार (इससे तात्पर्य मदीना के वे लोग हैं जिन्होंने मक्का से हिजरत करके आने वालों की सहायता की) में लड़ाई झगड़ा

पैदा न हो जाए परन्तु उस ख़िलाफ़त को ख़ुदा तआला ने दृढ़ता प्रदान की अत: वह ख़ुदा का काम था, न कि उससे यह हल निकलता है कि कोई एक दो व्यक्ति मिल कर किसी को ख़लीफ़ा बना सकते हैं।

फिर अल्लामा रशीद रज़ा ने हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन और इस्लाम के धार्मिक विद्वानों के कथनों से अपनी किताब 'अल-ख़िलाफ़त' में लिखा है कि ख़लीफ़ा वही होता है जिसको मुसलमान परामर्श और बहुमत से नियुक्त करें। परन्तु आगे चलकर वह अल्लामा सअदुद्दीन तिफ़ताज़ानी लेखक शरहुलमक़ासिद और अल्लामा नोवी आदि का यह कथन प्रतिलिपित करते हैं कि मुसलमानों का भारी संख्या में इकट्ठा होना समय पर कठिन होता है अत: यदि जमाअत के कुछ बड़े व्यक्ति जिनकी जमाअत में प्रतिष्ठा हो, किसी व्यक्ति की ख़िलाफ़त का फ़ैसला करें और लोग उस के पीछे चल पड़ें तो ऐसे लोगों का फ़ैसला जनमत समझा जाएगा और वह सब मुसलमानों का जनमत समझा जाएगा। और यह आवश्यक नहीं होगा कि दुनिया के सभी मुसलमान इकट्ठे हों और फिर निर्णय करें। इसी आधार पर मैंने ख़िलाफ़त के चुनाव के बारे में उपरोक्त नियम बनाया है जिस पर पिछले विद्वान भी सहमत हैं। हदीसों के विद्वान तथा ख़ुलफ़ा भी सहमत हैं।

अतएव वह फ़ैसला मेरा नहीं अपितु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तराधिकारियों का है और सहाबा कराम का है और उम्मत के सारे विद्वानों का है। जिनमें हनफ़ी, शाफ़इ, वहाबी सभी शामिल हैं वे कहते हैं कि बड़े आदमी से अभिप्राय यह है कि जो बड़े-बड़े कामों पर नियुक्त हों। जैसे हमारे नाज़िर हैं और वकील हैं और क़ुरआन करीम में जहां कहीं भी मोमिनों की जमाअत को संबोधित किया गया है उससे अभिप्राय ऐसे ही लोगों की जमाअत है न कि हर एक व्यक्ति। इस्लामी विद्वान रशीद का भी कथन है कि वहाँ भी यह अभिप्राय नहीं कि हर एक व्यक्ति, बल्कि अभिप्राय यह है कि उनके बड़े-बड़े (प्रतिष्ठित) आदमी (अल-ख़िलाफ़त पृष्ठ 14)। अत: हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और उनके सहाबा (सहचर) और इस्लाम के बड़े-बड़े विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि ख़िलाफ़त मुसलमानों की एकता से होती है परन्तु यह नहीं कि हर मुसलमान की एकता से बल्कि उन मुसलमानों की सहमति से, जो मुसलमानों में बड़े पदों पर हों या पहुँच रखते हों। इसके विपरीत यदि उन लोगों के अतिरिक्त कुछ दुराचारी मिलकर किसी की बैअत कर लें, तो न वे लोग मुबाए (बैअत करने वाले) कहलाएँगे और न जिसकी बैअत की गई है वह ख़लीफ़ा कहलाएगा। (अल ख़िलाफ़त लेखक अल्लामा रशीद रज़ा शामी सुम्मा अल-मिस्री पृष्ठ 9 से 18)

अब ख़िलाफ़त-ए-हक़्क़ा इस्लामिया के सम्बन्ध में क़ुरआनी और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पवित्र कथनों की शिक्षा भी बता चुका हूँ और उन नियमों का भी वर्णन कर चुका हूँ जो आगे जमाअत में ख़िलाफ़त के चुनाव के लिए लागू होंगे। चूँकि मनुष्य की ज़िन्दगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने मैं उस समय तक रहूँ या न रहूँ। इसलिए मैंने उपरोक्त नियम बना दिया है ताकि जमाअत फ़ितनों से सुरक्षित रहे। (भाषण, जलसा सालाना 27 दिसम्बर 1956 ई)

☆ ☆ ☆

शान्ति का अवतार

आज संसार सत्य-मार्ग, न्याय और सच्चाई की खोज कर रहा है। जिधर देखो अन्धकार ही अन्धकार जगत पर छाया हुआ है। कहीं जाति-विवाद हैं तो कहीं भाषा के आधार पर झगड़े, कहीं धर्म के नाम पर दंगे, तो कहीं पड़ोसी देशों में परस्पर वैमनस्य और घृणा-भाव। सारांश यह है कि मनुष्य ने अपने चारों और विनाश के ऐसे भंयकर गढ़े खोद रखे हैं कि उन्हें भर कर एक सुगम रास्ता बनाना उसकी शक्ति से बाहर लगता है। धार्मिक कट्टरवाद ने जिस संकीर्णता को जन्म दिया है, इसके फलस्वरूप निर्दयता और निष्ठुरता का विकराल राक्षस विश्व में चारों और निर्भीक हो कर विचरण करने वाला है। इसके कारण हथियारों की ऐसी होड़ आरम्भ हुई कि उस पर अंकुश लगाना तो दूर की बात है, विश्व की बड़ी-बड़ी शक्तियां इस होड़ को कम करने के मुद्दे पर भी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी नहीं हो सकती। ऐसे वातावरण में मनुष्य को क्या नीति अपनानी चाहिए? क्या उसे निराश हो कर अपने प्रयत्न त्याग देने चाहिए अथवा उसके लिए आशा की कोई किरण है?

उन्नीसवीं शताब्दी का आरम्भ लगभग पूरे विश्व में बेचैनी, आतंक और उपद्रव से हुआ। एक ओर हमारे प्रिय देश भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो दूसरी ओर हमारी ही कुछ बन्धु चाहे वे हिन्दू हों अथवा मुसलमान, परस्पर लड़ने-मरने पर तुले हुए थे। इसी प्रकार एक ही धर्म के लोग अर्थात विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों ने भी एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र धारण किये हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि धर्म का अर्थ ही आतंक और उपद्रव उत्पन्न करना और मानव-जाति का रक्तपात करना है। यह कहना गलत न होगा कि धार्मिक लोगों का यही व्यवहार और आचरण नास्तिकता और धर्महीनता को जन्म देने का उत्तरदायी है। ऐसे भंयकर वातावरण में जमाअत अहमदिय्या के संस्थापक हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने प्रेम और सद्भावना से भरपूर यह घोषणा की :

"मैं अत्यंत आदर और विनम्रता पूर्वक मुसलमान और ईसाई विद्वानों तथा हिन्दुओं और आर्यसमाजी पंडितों को यह घोषणा-पत्र भेज कर यह सूचना देता हूँ कि मैं नैतिक, आस्था और ईमान सम्बन्धी त्रुटियों की शुद्धि के लिए संसार में भेजा गया हूँ। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि धर्म के नाम पर तलवार उठाई जाए और और लोगों का ख़ून बहाया जाए। मैं समस्त मुसलमानों, ईसाइयों, हिन्दुओं और आर्यसमाजियों पर यह बात स्पष्ट करता हूँ कि संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं मानवजाति से इतना प्रेम करता हूँ जितना कि एक दयालु माता अपने बच्चे से करती है। बल्कि इससे भी बढ़कर। मैं केवल उन अन्ध विश्वासों का शत्रु हूँ जिनसे सच्चाई का ख़ून होता है। मानव समाज से सहानुभूति करना मेरा कर्त्तव्य और झूठ, शिर्क, अन्याय और हर कुकर्म और अनैतिक कार्य से घृणा करना मेरा सिद्धान्त है।" (अरबईन, पृष्ठ 1-2)

Sayed K. A. Rihan, M.B.A.
Proprietor
Tel: 9035494123/9740190123

B.M.S.ENTERPRISES
INDUSTRIAL UTILITY SOLUTIONS

21, Erannappa Layout Ambadkar Main Road,
Mahadevapura, Bangalore - 560 048
E-mail: bmsentrprises@gmail.com

सामान्य ज्ञान (गूगल के माध्यम से)

1. क्या आपको पता हैं की डीएनए एक अग्निरोधी भी है।

शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब सूती कपड़ो को डीएनए से कोटिंग की जाती है तो डीएनए में पाए जाने वाले आनुवंशिकता संबंधी तत्व कपड़े की ज्वलनशीलता को कम कर देते हैं। इसका कारण डीएनए में मौजूद फॉस्फेट है जो गर्म होने पर फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है जो पानी को प्रतिस्थापित कर एक अग्निरोधी पदार्थ की तरह कार्य करता है। और वास्तव में डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया का उत्पादन करता है जो कि दहन को रोकता है।

2. पाचन क्रिया में मदद करने वाले एंजाइम हमारी मौत के तीन दिन के बाद हमारे ही शरीर को खाना शुरू कर देते हैं।

3. क्या आपको पता है कि हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता है।

2004 में, ब्राउन विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के तीन स्वस्थ पुरुषों और तीन स्वस्थ महिलाओं के ऊपर एक परीक्षण किया जिससे पाया गया कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में जाग गए लेकिन गंध का उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिससे यह साबित होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता है।

4. क्या आप जानते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में केवल एक कप रक्त होता है और हर 2000 शिशुओं में से एक बच्चा एक या एक से अधिक दांत के साथ पैदा होता है?

5. Opiorphin एक दर्द निवारक दवा है जो हमारे लार में मौजूद होता है, यह अफ़ीम की तुलना में छह गुना अधिक मादक होता है।

6. मनुष्यों को होने वाले सर्दी-जुकाम जैसे संक्रमित रोग गोरिल्ला में भी फैल सकते हैं।

7. ध्रुवीय भालू बाएं हाथ से काम करना पसंद करते हैं यानी वो लैफ्टी होते हैं।

8. हाथी की सूंड में एक भी हड्डी नहीं होती, जबकि उसमें 4 हजार मांसपेशियां होती हैं।

9. एक गिलहरी की उम्र 9 साल तक हो सकती है। चींटियों के फेफड़े नहीं होते हैं।

10. तितलियां सुन नहीं सकती हैं, लेकिन वो कंपन को महसूस कर सकती हैं।

11.आपको जानकर हैरानी होगी कि छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है।

12.आप जानकर चकित होंगे कि व्हेल मछली उल्टी दिशा में नहीं तैर सकती है।

13.ज्ञात ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है।

14. मंगल ग्रह को रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है।

15. पृथ्वी गृह का केवल एक ही उपग्रह है और वह चंद्रमा।

16. यूरेनस इतना बड़ा है कि पृथ्वी जितने 63 ग्रह इसमें समा सकते हैं।

☆ ☆ ☆

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ (سورہ بنی اسرائیل، آیت 31)

LUCKY BATTERY CENTRE

BATTERY & DIGITAL INVERTER

Thana Chhak, NH-5 Soro
Balasore, Odisha
Pin 756045
e-mail : abdul.zahoor786@gmail.com

Mob. : 09438352786, 06788221786

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ (سورہ بنی اسرائیل، آیت 31)

Prop.
Sk. Riyazuddin

Moblie: 9437188786
9556122405

KING TENT HOUSE

At. Ashram Chak, P.O. Soro, Distt. Balasore, ODISHA

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (النحل ۱۱)

Prop : Sk. Ishaque

FFT Fruits

Phangudubabu : 7873776617
Papu : 9337336406
Lipu : 9778116653

FAIZAN FRUITS TRADERS

Near Railway Gate, Soro, Balasore, Odisha - 756045

PAPU LIPU ROAD WAYS
All India Truck Supplier
Papu : 9337336406, Lipu : 9437193658, 9778116653,

Sayed Wasim Ahmad

Mobile
09937238938

محبت سب کے لئے نفرت کسی سے نہیں

RUKSAR AGENCY

Pran Juice, Gandour Food Products,
Monginis Cake, Raja Biscuit etc.

Mubarakpur, At. Soro,
Distt. Balasore (Odisha)

REHAN'S

REHAN INTERNATIONAL

WE ARE ON

snapdeal flipkart amazon.com paytm

Ph: 7702857646
rehaninternational@gmail.com

We accept All Debit & Credit Cards

Urfan Ahmed Saigal
9550147334
deco.leathers@gmail.com

DECO LEATHERS

Genuine Quality
We Undertake Complimentary Orders Also
Manufacture

Address: 1/1/129, Alladin Complex 72, SD Road
Clock Tower, Beside Kamar, Hotel, Secunderabad-3

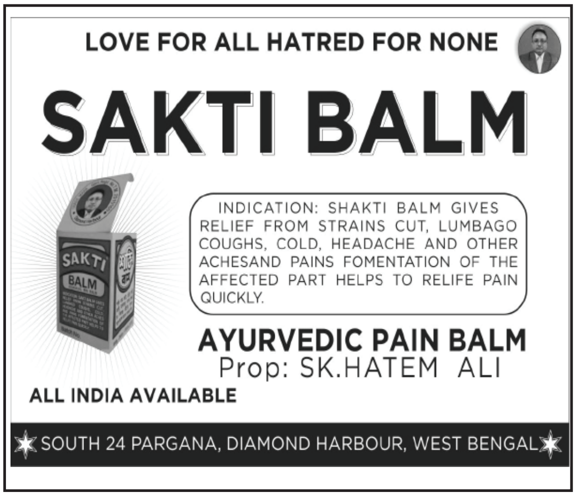
LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE
SAKTI BALM
SAKTI BALM
INDICATION: SHAKTI BALM GIVES RELIEF FROM STRAINS CUT, LUMBAGO COUGHS, COLD, HEADACHE AND OTHER ACHESAND PAINS FOMENTATION OF THE AFFECTED PART HELPS TO RELIFE PAIN QUICKLY.
AYURVEDIC PAIN BALM
Prop: SK.HATEM ALI
ALL INDIA AVAILABLE
SOUTH 24 PARGANA, DIAMOND HARBOUR, WEST BENGAL

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE
RSB Traders & whole seller
Specialist in Teddy Bear Ladies & Kids items, All Types of Bags & Garments items
Mob: 9647960851
9082768330
Branch: Aroti Tola Po muluk
Bolpur-Birbhum
Head office: Q84 Akra Road
Po.Bartala, Kolkata-18

INDIA MOVES ON EXIDE
EXIDE
M.S.AUTO SERVICE
2-423/4 Bharath Building
Railway Station Road Kacheguda,
Hyderabad.500027(T.s)
Cell :9440996396,9866531100

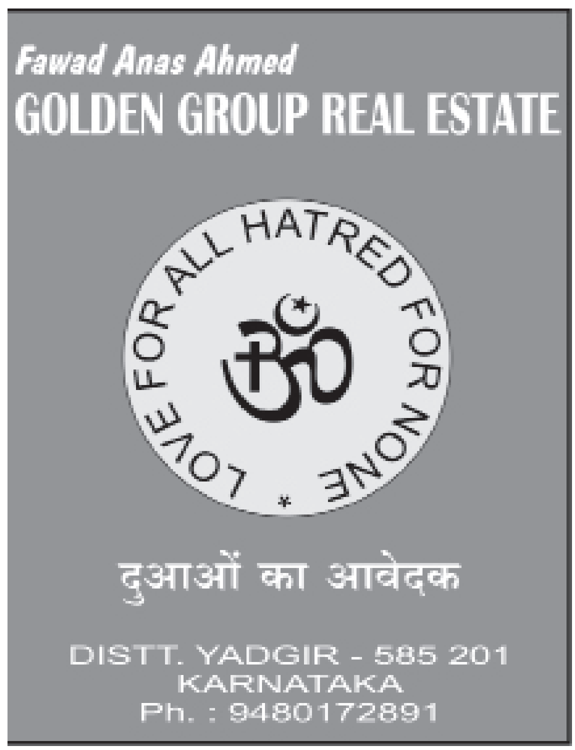
Fawad Anas Ahmed
GOLDEN GROUP REAL ESTATE
LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE
दुआओं का आवेदक
DISTT. YADGIR - 585 201
KARNATAKA
Ph. : 9480172891

METRO PLASTIC PRODUCTS
YUBA
QUALITY FOOTWEAR
E-mail:yuba.metro@yahoo.com
{AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY}
H.O & FACTORY : 20 A RADHANATH CHOUDHURAY ROAD
KOLKATA700015,PH:2328-1016

☎ : 06784-230727
Mob. : 9437060325

JANATA
STONECRUSHINGINDUSTRIES

Mfg. :
Hard Granite Stone, Chips, Boulder etc.

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

At - Tisalpur, P.O. - Rahanja,
Distt. - Bhadrak - 756 111

Mob. 9934765081

Guddu
Book Store

All type of books N.C.E.R.T, C.B.S.E & C.C.E are available here. Also available books for childrens & supply retail and wholesale for schools

Urdu Chowk, Tarapur, Munger, Bihar 813221

NASIR MAHMOOD
Ph. : 9330538771
7686979536

MANUFACTURER
and
WHOLE SELLER

Leather Wallats, Jackets, Ladies Bag, Port Folio Bag, Key Chain, Belts etc.

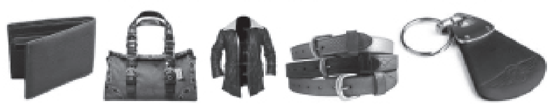

70D Tiljala Road, Kolkata - 700046
e-mail : nasirmahmood.125@gmail.com

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

Cell
9423805546 / 9960071753
9420399786 / 2363271443

Prop.
Hameed Khan Beejali

Creative Computers

Durwankur, Appt. 05, Old, Shiroda Naka,
Tal. Sawantwadi, Distt. Sindhudurg, Maharashtra - 416510

Ziyafat Khan
Mobile
09937845993

Love For All Hatred For None

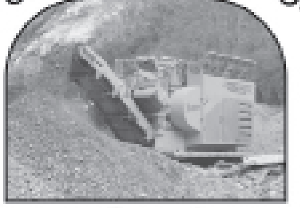

दुआओं का आवेदक
WASIMA STONE CRUSHER
Pankal, Near Nuapatna Town,
Distt. Cuttack (Odisha)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Mob. : 09986670102
09036915406

Prop.
Fazal-e-Haq
Eajaz-ul-Haq
Anwar-ul-Haq
Rizwan-ulHaq

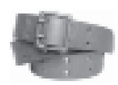

Al-Fazal Garments

Specialist in : School Uniform, Tai, Belt, Jeans, T-Shirts, Shirts etc.

Opp. Krishna Gramina Bank, Beside Sana Medical,
Main Road, Yadgir, Karnataka

पत्रिका के बारे में कृपया अपनी राय (Feedback) अवश्य दें

प्रिय पाठको! धार्मिक भेद-भाव तथा धर्मों के बीच पनप रही नफरत के वर्तमान परिदृश्य में पत्रिका "**राहे ईमान**" के द्वारा हम निरंतर इस्लाम की वास्तविक तथा मौलिक शिक्षाओं से आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस पत्रिका को पढ़कर आपको कैसा लगा, हमारे संपादकीय मंडल की ओर से जो लेख इस पत्रिका में प्रकाशित किए जाते हैं उनके प्रति आपकी क्या राय है? यह हमें अवश्य बताएं। आपका **फ़ीडबैक (प्रतिक्रिया)** इस पत्रिका को लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक बनाने में हमारी सहायता करेगा।

यदि आपके पास कोई ऐसा सुझाव हो जो इस पत्रिका को और भी बेहतर बना सकता है तो ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत (जमाअत के अंतर्गत नौजवानों की संस्था) आपके सुझाव का स्वागत करती है। हमारा इस पत्रिका को बेहतर से बेहतर तथा ज्ञान वर्धक एवं ईमान वर्धक बनाने का प्रयास निरन्तर जारी है। इसके अतिरिक्त भी यदि पत्रिका से संबंधित और भी कोई सुझाव या परामर्श आप हमें देना चाहते हैं तो उसका हृदय से स्वागत है।

आप अपना फ़ीडबैक हमें मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत की ईमेल आईडी पर भिजवा सकते हैं और एडिटर या मैनेजर को फोन भी कर सकते हैं :-

Email id- khuddam@qadian.in
Manager- 98156-39670, Editor- 91150-40806

पृष्ठ 7 का शेष, संपादकीय

جَعَلْنَاكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ कि हम ने तुम्हें मसीह इब्ने मरियम बनाया है।

(इज़ाला औहाम, पृष्ठ 632)

आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने 1889 ईस्वी में एक पवित्र जमाअत की स्थापना की और इस जमाअत को **"जमाअते-अहमदिया मुस्लिमा"** के नाम से पुकारा। आप अलैहिस्सलाम का पूरा जीवन इस्लाम को संसार के कोने-कोने तक फैलाने के कार्य में लगा रहा। आप अलैहिस्सलाम ने 80 से अधिक पुस्तकें लिखीं इसी प्रकार अपनों बेगानों की गवाहिया मौजूद हैं जिन से संसार पर यह वास्तविकता प्रकट हुई कि किस प्रकार आप अलैहिस्सलाम ने संसार में इस्लाम की वास्तविक शिक्षा को फैलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। आप की मृत्यु के पश्चात दुश्मन यह समझने लगा कि अब आप का उद्देश्य तथा जमाअत नष्ट हो जाएगी लेकिन अल्लाह तआला ने अपने वादा के अनुसार ख़िलाफ़त का निज़ाम आरंभ किया।

ख़िलाफ़त का यही सिलसिला जमाअत अहमदिया में जारी है और हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब पांचवें ख़लीफ़ा के रूप में इस ईश्वरीय आदेश का निर्वाहन कर रहे हैं परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम इस से लाभ उठाएं और ख़ुदा के इस उपकार की क़द्र करें और ख़ुद भी तथा अपनी औलाद को इसका आज्ञाकारी बनाएं। अल्लाह हमें इसका सामर्थ्य प्रदान करे आमीन।